E-mail: justiceambit@gmail.com

E-mail: legalambit.ho@gmail.com

PRGI No: RJBIL/26/A2945

नागौर से प्रकाशित...

जस्टिस एम्बिट

हिन्दी एवं English मासिक

सत्य | न्याय | अधिकार

पढ़े.... 3

शांतिपूर्ण छात्र...

पढ़े.... 4

एक पक्ष की...

वर्षः 01 | अंकः 04 | नागौर, शनिवार 01 अगस्त, 2026 | मूल्यः 10.00 रुपए | पृष्ठः 8

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः संदेहास्पद साक्ष्यों पर नहीं होगी सजा

38 साल पुराने हत्या मामले में आरोपियों को राहत, ट्रायल कोर्ट की बरी करने की व्यवस्था बहाल

SC ने दोहराया–अभियोजन को अपराध 'संदेह से परे' साबित करना होगा, महज बरामदगी, कमजोर गवाही या अनुमान दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं

Justice Ambit

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के एक हत्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपियों की अपील स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई बरी करने की व्यवस्था बहाल कर दी। Khalil Pasha & Ors. v. Abdul Rasheed & Anr., 2026 INSC 754 मामले में न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 28 जुलाई 2026 को फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होता है। जहां साक्ष्य संदिग्ध हों और घटनाओं की ऐसी पूरी कड़ी स्थापित न हो जिससे आरोपी का अपराध ही एकमात्र संभावित निष्कर्ष रह जाए, वहां दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।

चश्मदीद गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल

मामले में अभियोजन ने तीन चश्मदीद गवाहों पर भरोसा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गवाही का विस्तृत परीक्षण किया और पाया कि उनकी घटनास्थल पर मौजूदगी तथा घटना के बाद उनके आचरण को लेकर गंभीर संदेह पैदा होते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को केवल 'चांस विटनेस' होने के कारण अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता, लेकिन उसकी गवाही न्यायिक विश्वास पैदा करने वाली होनी चाहिए।

मृत्यु-पूर्व कथन में विरोधाभास ने कमजोर किया केस

अभियोजन ने मृतक के कथित Dying Declarations को भी महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया था। हालांकि अस्पताल में मृतक की चेतना की स्थिति और कथित बयान दिए जाने के समय को लेकर चिकित्सकीय गवाहियों में विरोधाभास सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने इन परिस्थितियों में कथित मृत्यु-पूर्व कथनों को विश्वसनीय नहीं माना।

धारा 27 की बरामदगी अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं

फैसले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी संदेश यह है कि धारा 27 के तहत हथियार की बरामदगी मात्र से आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मामले में बरामद हथियार पर मानव रक्त पाया गया, लेकिन यह स्थापित नहीं हुआ कि वह रक्त मृतक का ही था। कोर्ट ने माना कि ऐसी बरामदगी को अन्य विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से जोड़ना आवश्यक है।

कानून की नजर मेंः फैसले के 5 बड़े संदेश

1. Beyond Reasonable Doubt
अभियोजन को आरोपी का अपराध संदेह से परे साबित करना होगा।
2. Chance Witness
चांस विटनेस की गवाही केवल उसकी स्थिति के कारण खारिज नहीं होगी, लेकिन गवाही विश्वसनीय और परिस्थितियों से मेल खानी चाहिए।
3. Dying Declaration
मृत्यु-पूर्व कथन विश्वसनीय एवं सुसंगत होना चाहिए। महत्वपूर्ण विरोधाभास होने पर उसका evidentiary value कमजोर हो सकता है।
4. Section wl Recovery
हथियार या अन्य वस्तु की धारा 27 के तहत बरामदगी अकेले दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है।
5. Benefit of Doubt
जहां अभियोजन के साक्ष्य से उचित संदेह उत्पन्न होता है, आरोपी को उसका लाभ मिलना चाहिए।

घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिलने पर भी कोर्ट ने जताया संदेह

सुप्रीम कोर्ट ने घटनास्थल की जांच को भी संदेह से परे नहीं माना। अभियोजन के अनुसार आरोपी को कई चोटें आई थीं, जिससे घटनास्थल पर रक्त के निशान होने की संभावना थी, लेकिन जांच में घटनास्थल से ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त नहीं किए गए।

पीड़ितों के लिए भी महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 372 के प्रावधान के तहत पीडि़त के अपील के वैधानिक अधिकार पर भी प्रकाश डाला। 2009 के संशोधन के बाद पीडि़त को बरी किए जाने सहित कुछ परिस्थितियों में अपील का अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पुराने मामलों में, जहां उस समय अपील का वैधानिक उपाय उपलब्ध नहीं था, परिस्थितियों के अनुसार पुनरीक्षण याचिका को अपील में परिवर्तित करने की शक्ति हाईकोर्ट के पास हो सकती है।

अंतिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया तथा ट्रायल कोर्ट की बरी करने की व्यवस्था बहाल कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं और जेल में हैं तो उन्हें रिहा किया जाए।

Justice Ambit Legal Desk

संदेश स्पष्ट है–हत्या जैसी गंभीर घटना में भी न्यायालय केवल अपराध की गंभीरता देखकर दोषसिद्धि नहीं कर सकता। दोषसिद्धि विश्वसनीय, ठोस और कानून की कसौटी पर खरे उतरने वाले साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए।

पहली बार ट्रांसप्लांट के लिए वंदेभारत से पहुंचाया जिंदा दिल

नई दिल्ली। देश में पहली बार एक दिल को ट्रांसप्लांटेशन के लिए वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से अहमदाबाद लाय गया। इस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए पहले हॉस्पिटल से स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके बाद हार्ट को अहमदाबाद के एक कार्डियक टीचिंग अस्पताल में ट्रांसप्लांट के लिए पहुंचाया गया। रेलवे के मुताबिक शुक्रवार को हुए इस पूरे घटनाक्रम में सूरत से अहमदाबाद की 250द्मद्व की दूरी तय करने में वंदेभारत ने करीब 217 मिनट का वक्त लिया।

4 एजेंसियों की मदद से बना ग्रीन कॉरिडोर

रेलवे, गुजरात पुलिस, आरपीएफ और मेडिकल टीमों के बीच मजबूत तालमेल से दिल को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। अहमदाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यूएन मेहता इंस्टीट्यूट तक हार्ट को तेजी से पहुंचाने के लिए **RPF** और गुजरात पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया था। अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने इसे भारतीय रेलवे के लिए गर्व का पल बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने पहली बार वंदेभारत एक्सप्रेस ने हार्ट को पहुंचाकर इतिहास बना दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया में हर सेकंड कीमती होता है। वंदे भारत की तेज रफ्तार के कारण ही यह प्रयास संभव हो सका। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को अबतक 77 सफल हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बधाई दी।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः NCSC सेवा मामलों में बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता

Justice Ambit Legal Desk

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अधिकार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आयोग की भूमिका जांच, पूछताछ, निगरानी और सिफारिश तक सीमित है। आयोग सेवा मामलों में अदालत की तरह बाध्यकारी एवं लागू किए जाने योग्य आदेश जारी नहीं कर सकता।

मुंबई पोर्ट अथॉरिटी बनाम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड अन्य, 2026 INSC 755 मामले में न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 28 जुलाई 2026 को यह फैसला सुनाया।

मामले में NCSC ने एक कर्मचारी से जुड़े सेवा विवाद में बकाया राशि का भुगतान 30 दिन के भीतर करने सहित कई निर्देश दिए थे। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने इन निर्देशों को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत NCSC को जांच और साक्ष्य जुटाने के लिए सिविल कोर्ट जैसी कुछ प्रक्रियात्मक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इससे आयोग न्यायालय या न्यायिक अधिकरण नहीं बन जाता। पीठ ने स्पष्ट किया कि आयोग तथ्यों का निष्कर्ष दर्ज कर संबंधित सरकार को कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, लेकिन वह ऐसी बाध्यकारी व्यवस्था नहीं दे सकता जिसे न्यायिक डिक्री की तरह लागू कराया जा सके। विशेष रूप से 30 दिन में बकाया भुगतान का निर्देश आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना गया।

हाईकोर्ट का फैसला भी निरस्त

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए **NCSC** द्वारा बकाया भुगतान संबंधी निर्देश को संविधान के विपरीत और कानून की नजर में गैर–मौजूद (**non-est**) घोषित किया। साथ ही स्पष्ट किया कि आयोग के निर्देश **rec-ommendatory** और **advisory** प्रकृति के हैं, अनिवार्य नहीं।

फैसले का व्यापक असर

इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि **NCSC** सेवा विवादों में पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम निर्धारण नहीं कर सकता और न ही बकाया भुगतान, पदोन्नति, डिमोशन अथवा अन्य राहत के संबंध में न्यायालय की तरह लागू होने वाले आदेश पारित कर सकता है। ऐसे मामलों में अंतिम बाध्यकारी राहत के लिए संबंधित न्यायालय या अधिकरण का रुख करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि संवैधानिक संस्थाओं को अपने निर्धारित संवैधानिक दायरे के भीतर ही कार्य करना होगा। **NCSC** का उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा है, लेकिन वह न्यायालय अथवा अधिकरण के न्यायिक कार्य अपने हाथ में नहीं ले सकता।

दिल्ली हाईकोर्टः अनधिकृत निर्माण पर MCD की कार्रवाई को माना पर्याप्त, चार सप्ताह में शेष कार्रवाई के निर्देश

Contempt Petition का निस्तारण, कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता को फिर से कोर्ट आने की स्वतंत्रता

नई दिल्ली/ Justice Ambit

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनधिकृत निर्माण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में नगर निगम दिल्ली (MCD) द्वारा की गई कार्रवाई को संज्ञान में लेते हुए Contempt Petition का निस्तारण कर दिया। Ramveer Singh Bhati vs. Ashwani Kumar, Commissioner, MCD & Ors. (2026 DHC 5940) मामले में न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने MCD को शेष अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई पूरी करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामला दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर स्थित B-52 संपत्ति में कथित अनधिकृत निर्माण से जुड़ा था। इससे पहले 24 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट ने संबंधित रिट याचिका का निस्तारण करते हुए MCD को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद न्यायालयीन आदेश के कथित अनुपालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए Contempt Petition दाखिल की गई।

MCD ने कोर्ट को बताई कार्रवाई

सुनवाई के दौरान MCD की ओर से Status Reports और photographs प्रस्तुत किए गए। इनमें बताया गया कि संपत्ति के मुख्य प्रवेश द्वार को सील किया गया तथा सील टूटने के बाद उसे दोबारा सील किया गया। इसके अलावा पहली मंजिल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। MCD ने यह भी बताया कि संबंधित संपत्ति और समीप स्थित अस्पताल के बीच बनाए गए छोटे प्रवेश मार्ग को भी सील किया गया है।

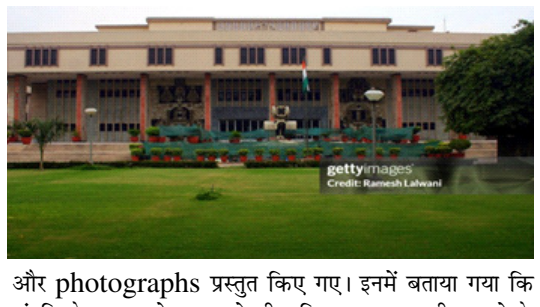

ग्राउंड फ्लोर पर अभी भी था अनधिकृत निर्माण

हालांकि न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि संपत्ति के ग्राउंड फ्लोर पर अनधिकृत निर्माण का कुछ हिस्सा अभी भी मौजूद है। इस पर MCD की ओर से न्यायालय को आश्वासन दिया गया कि उसके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने MCD के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए उसे अपने कथन का पालन करने के लिए बाध्य किया और चार सप्ताह के भीतर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद अनधिकृत निर्माण के संबंध में कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया।

Contempt Petition का निस्तारण, लेकिन रास्ता खुला रखा

न्यायालय ने MCD द्वारा की गई कार्रवाई को देखते हुए Contempt Petition का निस्तारण कर दिया। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को महत्वपूर्ण राहत देते हुए कहा कि यदि MCD द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका को पुनः revive करने के लिए स्वतंत्र होगा।

क्या है इस फैसले का कानूनी महत्व?

इस फैसले से स्पष्ट होता है कि Contempt proceedings में न्यायालय आदेश के वास्तविक अनुपालन को महत्व देता है। यदि संबंधित प्राधिकरण ने पर्याप्त कार्रवाई कर दी है, तो contempt proceedings का निस्तारण किया जा सकता है। लेकिन यदि आदेश का अनुपालन पूरी तरह नहीं हुआ है, तो न्यायालय शेष कार्रवाई के लिए समयबद्ध निर्देश जारी कर सकता है। यह फैसला विशेष रूप से अनधिकृत निर्माण, demolition orders और municipal authorities द्वारा court directions के compliance से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

Justice Ambit Legal Takeaway:

न्यायालयीन आदेश का पालन केवल कागजी रिपोर्ट तक सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक कार्रवाई आवश्यक है और यदि अनुपालन अधूरा है तो न्यायालय शेष कार्रवाई के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकता है।

सम्पादक की कलम से...

महावीर प्रसाद पारीक
चीफ एडीटर

एसपी के आदेश से डीसीपी के दोबारा आदेश तक: आखिर बानसूर पुलिस रिकॉर्ड का सच क्या है?

आदेश की पालना, RTI का जवाब और न्यायालयीन रिकॉर्ड– तीनों के बीच कथित अंतर ने खड़े किए गंभीर सवाल

लो

कतंत्र में पुलिस व्यवस्था केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। पुलिस के किसी आदेश, रिपोर्ट या रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है तो उसका असर केवल एक व्यक्ति या एक मामले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। बानसूर थाना क्षेत्र से सामने आया वर्तमान मामला इसी कारण गंभीर है।

Legal Ambit के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता राव धनवीर सिंह नम्बदार द्वारा पुलिस थाना कोटपूतली में प्रस्तुत परिवाद में संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। परिवाद के साथ उपलब्ध बताए गए दस्तावेजों में वर्ष 2022 के पुलिस अधीक्षक स्तर के निर्देश, वर्ष 2024 के पुलिस उप अधीक्षक स्तर के आदेश, RTI आवेदन एवं जवाब तथा न्यायालयीन अभिलेखों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। यहां हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं है। हमारा सवाल केवल इतना है कि दस्तावेजों में दिखाई दे रहे कथित विरोधाभास का निष्पक्ष सत्यापन आखिर कब होगा?

2022 में SP का आदेश, 2024 में DSP का आदेश–बीच के दो वर्ष कहां गए?

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 7 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा पत्र क्रमांक अप/अल/म.अ./22/8116 के माध्यम से थाना बानसूर को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। परिवाद में आरोप है कि इन निर्देशों की अपेक्षित पालना थाना स्तर पर नहीं हुई। इसके बाद 1 अगस्त 2024 को पुलिस उप अधीक्षक, बानसूर द्वारा आदेश क्रमांक 310 जारी किए जाने का उल्लेख किया गया है।

यहीं से सबसे बड़ा प्रशासनिक सवाल पैदा होता है–

यदि एसपी स्तर से 7 अक्टूबर 2022 को ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, तो करीब दो वर्ष बाद DSP स्तर से पुनः आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

और यदि 2022 के आदेश की पालना हो चुकी थी, तो 2024 का आदेश किस आवश्यकता के तहत जारी हुआ? यह प्रश्न किसी अधिकारी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और आदेशों की पालना का है।

'क्या थानेदार DSP से भी बड़े हो गए?'–व्यंग्य के पीछे छिपा गंभीर सवाल

इस मामले को लेकर एक व्यंग्यात्मक सवाल सामने आया है– अगर एसपी साहब के आदेश की पालना नहीं हुई और दो साल बाद DSP साहब को फिर आदेश करना पड़ा, तो क्या थानेदार जी DSP से भी बड़े हो गए? बेशक यह एक व्यंग्य है, लेकिन इसके पीछे गंभीर प्रशासनिक प्रश्न छिपा हुआ है।

पुलिस व्यवस्था में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी आदेश की समय पर पालना होना आवश्यक है। यदि आदेश लंबित रहा, तो उसका कारण रिकॉर्ड में होना चाहिए और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

FIR से अंतिम रिपोर्ट और फिर कार्रवाई का सवाल

परिवाद के अनुसार थाना बानसूर में एफआईआर संख्या 434/2022, आईपीसी की धारा 376 एवं 506 के तहत दर्ज हुई थी।

पुलिस जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट संख्या 668/2022 दिनांक 11 अक्टूबर 2022 न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने तथा न्यायालय द्वारा 19 जुलाई 2023 को उसे स्वीकार किए जाने का उल्लेख परिवाद में किया गया है। इसके बाद संबंधित शिकायतकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 182 एवं 211 के तहत कार्रवाई की मांग उठाई गई।

यहां भी कानून का मूल सिद्धांत स्पष्ट है–किसी FIR का दर्ज होना शिकायतकर्ता को दोषी साबित नहीं करता और किसी अंतिम रिपोर्ट का स्वीकार होना भी अपने आप में हर आरोप की अंतिम न्यायिक घोषणा नहीं है।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर झूठी सूचना देकर किसी निर्दोष को आपराधिक मामले में फंसाने का प्रयास किया गया हो, तो उसकी जिम्मेदारी कानून के अनुसार तय की जा सकती है। लेकिन यह निष्कर्ष निष्पक्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।

RTI ने उठाया सबसे बड़ा सवालः पुलिस रिकॉर्ड सही या न्यायालयीन रिकॉर्ड?

इस पूरे मामले का सबसे गंभीर और संवेदनशील पहलू RTI से सामने आया कथित अंतर है। राव धनवीर सिंह द्वारा मांगी गई सूचना के जवाब में पुलिस की ओर से कथित तौर पर बताया गया कि FIR संख्या 434/2022 के संबंध में आईपीसी की धारा 182 एवं 211 के तहत इस्तगासा डिस्पैच नंबर 991-92 दिनांक 15 अप्रैल 2024 के माध्यम से न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

लेकिन परिवाद में संलग्न न्यायालयीन अभिलेख से संबंधित प्रमाणित सूचना के अनुसार 16 जून 2026 को कथित तौर पर बताया गया कि ऐसा कोई इस्तगासा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया और न ही न्यायालयीन रिकॉर्ड में दर्ज है।

यदि दोनों दस्तावेज इसी प्रकार के हैं, तो सवाल बेहद सीधा है–

आखिर सही रिकॉर्ड कौन सा है?

पुलिस रिकॉर्ड में दस्तावेज न्यायालय में पेश बताया गया है तो न्यायालयीन रिकॉर्ड में वह क्यों नहीं है? और यदि वह न्यायालय में पेश ही नहीं हुआ था, तो पुलिस रिकॉर्ड में उसके पेश होने की सूचना किस आधार पर दर्ज हुई?

RTI का महत्व यहीं सामने आता है

सूचना का अधिकार केवल सरकारी कागज प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। RTI शासन-प्रशासन की जवाबदेही जांचने का एक संवैधानिक लोकतांत्रिक औजार है।

जब RTI के माध्यम से प्राप्त सरकारी सूचना और किसी अन्य सरकारी अभिलेख के बीच कथित अंतर सामने आता है, तो उस अंतर की जांच होना आवश्यक है।

यदि यह केवल रिकॉर्ड-प्रबंधन की गलती है, तो गलती के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर गलत सूचना दी गई है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और यदि जानबूझकर गलत रिकॉर्ड तैयार या प्रस्तुत किया गया है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

अब जांच केवल शिकायतकर्ता की नहीं, रिकॉर्ड की भी होनी चाहिए

इस मामले में यदि निष्पक्ष जांच होती है तो जांच का दायरा केवल कथित झूठी FIR तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि– **पहला:** 7 अक्टूबर 2022 के एसपी आदेश की वास्तविक पालना हुई या नहीं?

दूसरा: यदि पालना नहीं हुई तो जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी कौन था?

तीसरा: 1 अगस्त 2024 को DSP स्तर से पुनः आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

चौथा: 15 अप्रैल 2024 के कथित डिस्पैच नंबर 991-92 का वास्तविक रिकॉर्ड क्या है?

पांचवां: क्या संबंधित इस्तगासा वास्तव में न्यायालय में पेश हुआ था?

छठा: यदि पेश हुआ था तो न्यायालयीन रिकॉर्ड में उसका उल्लेख क्यों नहीं है?

सातवां: यदि पेश नहीं हुआ था तो पुलिस की ओर से उसे पेश किए जाने की सूचना किस आधार पर दी गई?

आठवां: क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से रिकॉर्ड अथवा सूचना में गंभीर त्रुटि हुई?

नौवां: यदि FIR जानबूझकर झूठी साबित होती है तो संबंधित व्यक्तियों की कानूनी जिम्मेदारी क्या बनती है?

दसवां: यदि पुलिस रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी?

कानून किसी के पद से बड़ा है

यह संपादकीय किसी शिकायतकर्ता, पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं है।

हमारा स्पष्ट मत है कि कानून की नजर में शिकायतकर्ता और लोक सेवक दोनों बराबर हैं।

यदि कोई नागरिक जानबूझकर झूठी सूचना देता है तो कानून के अनुसार उसकी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।

और यदि किसी लोक सेवक की ओर से आदेश की अवहेलना, गलत सूचना, रिकॉर्ड में हेरफेर अथवा अन्य अनियमितता सिद्ध होती है तो उसके विरुद्ध भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

कानून का शासन तभी मजबूत होता है जब जवाबदेही पद देखकर नहीं, कृत्य देखकर तय हो।

पुलिस प्रशासन के सामने खुला अवसर

इस मामले में पुलिस प्रशासन के सामने एक महत्वपूर्ण अवसर है।

यदि परिवाद में लगाए गए आरोप गलत हैं तो निष्पक्ष जांच के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी तय की जा सकती है। और यदि रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितता सामने आती है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए इस प्रकरण को पुलिस बनाम शिकायतकर्ता के रूप में देखने के बजाय रिकॉर्ड बनाम सत्य के रूप में देखा जाना चाहिए।

Justice Ambit का संपादकीय मत

हमारा स्पष्ट मत है– न शिकायतकर्ता को बचाया जाए, न अधिकारी को। न निर्दोष को फंसाया जाए, न दोषी को छोड़ा जाए। न गलत FIR को संरक्षण मिले, न गलत पुलिस रिकॉर्ड को। न एसपीके आदेश की कथित अवहेलना दबाई जाए, न RTI के कथित विरोधाभास को नजरअंदाज किया जाए। सत्य जो भी हो, वह दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच से सामने आना चाहिए। बानसूर प्रकरण में अब गेंद पुलिस प्रशासन के पाले में है। जनता यह जानना चाहती है कि– 2022 के एसपी आदेश की पालना क्यों नहीं हुई? 2024 में DSP को दोबारा आदेश क्यों देना पड़ा? RTI में बताए गए कथित इस्तगासे का वास्तविक रिकॉर्ड कहां है? और पुलिस एवं न्यायालयीन रिकॉर्ड में कथित अंतर का सच क्या है? इन सवालों का जवाब किसी राजनीतिक बयान, प्रेस नोट या आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, प्रमाणित रिकॉर्ड और कानूनसम्मत कार्रवाई से मिलना चाहिए। क्योंकि अंततः सवाल केवल बानसूर थाने का नहीं है– सवाल यह है कि क्या सरकारी रिकॉर्ड जनता के विश्वास के योग्य हैं? और उससे भी बड़ा सवाल– क्या कानून वास्तव में सबके लिए बराबर है?

Justice Ambit इस मामले में किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि दस्तावेज, पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के पक्ष में खड़ा है।

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और जिम्मेदार पत्रकारिता

लो

रत्तीराम गुर्जर
प्रधान संपादक
राइट टू एक्शन

कतंत्र की सफलता केवल सरकार, न्यायपालिका और विधायिका पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मीडिया की निष्पक्षता और जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। समाज में घटित घटनाओं को जनता तक सही, सटीक और निष्पक्ष रूप से पहुँचाना पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है।

आज डिजिटल युग में सूचनाओं का प्रवाह बहुत तेज हो गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति सूचना का माध्यम बन गया है, लेकिन इसके साथ ही अफवाहों और भ्रामक खबरों का खतरा भी बढ़ा है। ऐसे समय में जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। समाचार प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करना, सभी पक्षों को सुनना और जनहित को सर्वोपरि रखना ही सच्ची पत्रकारिता की पहचान है।

पत्रकार केवल खबर लिखने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह समाज की आवाज़ बनकर जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है। भ्रष्टाचार, जनसमस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को उजागर कर पत्रकार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है।

आज आवश्यकता है कि मीडिया सनसनी से अधिक सत्य को महत्व दे। निष्पक्ष, निर्भीक और जनहितकारी पत्रकारिता ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है। जब पत्रकारिता अपने मूल्यों पर कायम रहती है, तभी जनता का विश्वास बना रहता है और समाज सही दिशा में आगे बढ़ता है।

CIC के आदेश की पालना पर NHAI घिरा, अधिकारियों को 15 दिन का लीगल नोटिस

रांची/डाल्टनगंज। केंद्रीय सूचना आयोग के स्पष्ट आदेश के बावजूद रिकॉर्ड निरीक्षण नहीं कराने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा गया है। मामले में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष कुमार ने अपने क्लाइंट आर.आर. मेहता की ओर से NHAI के संबंधित CPIO एवं First Appellate Authority (FAA) को 30 जुलाई 2026 को लीगल नोटिस जारी किया है। मामला Central Information Commission के File No. CIC/NHAIN/A/2025/112179 से जुड़ा है। नोटिस के अनुसार, CIC ने 12 मई 2026 को आदेश पारित करते हुए संबंधित CPIO को रिकॉर्ड निरीक्षण कराने के निर्देश दिए थे।

12 मई के आदेश में चार सप्ताह में रिकॉर्ड निरीक्षण कराने के निर्देश, समय सीमा गुजरने के बाद भी फाइलों की सूची नहीं देने का आरोप

अधिवक्ता मनीष कुमार ने CPIO और स्व को भेजा नोटिस, आदेश की पालना नहीं होने पर CIC में कार्रवाई की चेतावनी

CIC का आदेश–पहले फाइलों की पूरी सूची, फिर निरीक्षण

नोटिस में कहा गया है कि आयोग के आदेश के अनुसार संबंधित CPIO को चार सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड निरीक्षण की सुविधा उपलब्ध करानी थी। इसके लिए पहले ऐसी सभी फाइलों की सूची देने के निर्देश थे, जिसमें प्रत्येक फाइल का File Number, Subject और Total Number of Pages दर्ज होना था। आयोग ने संबंधित रिकॉर्ड को निरीक्षण के समय एक स्थान पर उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए थे। वहीं FAA को आदेश की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

चार सप्ताह बीते, लेकिन न सूची मिली न निरीक्षण की तारीख

अधिवक्ता मनीष कुमार की ओर से जारी नोटिस में आरोप लगाया गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित चार सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बावजूद उनके क्लाइंट को न तो फाइलों की अपेक्षित सूची उपलब्ध कराई गई और न ही रिकॉर्ड निरीक्षण के लिए कोई निश्चित तारीख, समय और स्थान लिखित रूप से बताया गया। नोटिस में कहा गया है कि CIC के आदेश की पालना नहीं होने से RTI आवेदक अपने वैधानिक अधिकार के तहत रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने से वंचित है।

CPIO और FAA से 15 दिन में मांगी गई कार्रवाई

कानूनी नोटिस में NHAI अधिकारियों को 15 दिनों की अंतिम समय सीमा देते हुए CIC के आदेश की पूर्ण पालना करने को कहा गया है। इसके तहत– सभी संबंधित फाइलों की पूरी सूची उपलब्ध कराने, File Number, Subject और कुल पृष्ठों की संख्या बताने, निरीक्षण के लिए निश्चित तारीख, समय और स्थान तय करने, सभी संबंधित रिकॉर्ड एक स्थान पर उपलब्ध कराने तथा निरीक्षण के बाद नियमानुसार शुल्क पर आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

पालना नहीं हुई तो CIC और सक्षम प्राधिकारियों का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी

नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आदेश की पालना नहीं की गई तो आर.आर. मेहता की ओर से केंद्रीय सूचना आयोग एवं अन्य सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष उचित कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी। अधिवक्ता ने नोटिस में RTI Act, 2005 के तहत उपलब्ध वैधानिक उपायों सहित अन्य कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात कही है।

अब निगाहें NHAI की कार्रवाई पर

मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 12 मई को CIC द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद चार सप्ताह की निर्धारित अवधि में आदेश की पालना क्यों नहीं हुई? अब लीगल नोटिस के बाद NHAI के संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करते हैं या मामला केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष दोबारा पहुंचता है, इस पर निगाह रहेगी।

नोट: यह समाचार अधिवक्ता द्वारा जारी लीगल नोटिस में वर्णित तथ्यों और आरोपों पर आधारित है। संबंधित NHAI अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जाएगा।

कंपनी के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

कंपनी का नाम बदलने के मामले में केंद्र सरकार की शक्ति पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

DNA Forensics Test Solutions Pvt. Ltd. बनाम Union of India & Ors. 7 2026:DHC:5949

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि Companies Act, 2013 की धारा 16(1)(a) के तहत केंद्र सरकार किसी कंपनी का नाम बदलने का निर्देश दे सकती है, भले ही कार्रवाई की शुरुआत किसी पक्ष की शिकायत या आवेदन से हुई हो। न्यायमूर्ति अनिश दयाल की पीठ ने कहा कि केवल इस आधार पर केंद्र सरकार की शक्ति समाप्त नहीं हो जाती कि उसे कार्रवाई के लिए जानकारी किसी आवेदन से मिली है। सरकार को स्वतंत्र रूप से यह राय बनानी होगी कि कंपनी का नाम किसी मौजूदा कंपनी के नाम से identical या too nearly resembles करता है।

क्या था विवाद?

याचिकाकर्ता का नाम था– DNA Forensics Test Solutions Private Limited

शिकायतकर्ता कंपनी का नाम था– DNA Forensics Laboratory Private Limited दोनों कंपनियां DNA testing के क्षेत्र में कार्यरत थीं। इसी समानता को देखते हुए Regional Director ने धारा 16(1)(a) के तहत कंपनी का नाम बदलने का निर्देश दिया। कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि धारा 16(1)(a) केवल suo motu power है और किसी आवेदन के आधार पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।

धारा 16(1)(a) के तहत कार्रवाई का स्रोत आवेदन होना, केंद्र सरकार की वैधानिक शक्ति को समाप्त नहीं करता। वहीं धारा 16(1)(a) registered trademark proprietor द्वारा किए गए आवेदन से जुड़ी अलग व्यवस्था है। दोनों प्रावधानों को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि दोनों कंपनियों के नाम और उनके कार्यक्षेत्र में इतनी समानता थी कि भ्रम की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

फैसले का सबसे बड़ा असर

अब केवल यह तर्क देकर कंपनी नाम बदलने के आदेश को चुनौती देना मुश्किल होगा कि– धारा 16(1)(a) के तहत सरकार को suo motu ही कार्रवाई करनी थी, आवेदन के आधार पर नहीं।

चुनौती देने वाली कंपनियों को अब नाम की वास्तविक समानता, देरी, तथ्यात्मक परिस्थितियों और व्यवसाय के क्षेत्र जैसे ठोस आधारों पर मामला रखना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट का निष्कर्ष

Section 16(1)(a) की शक्ति केवल इसलिए समाप्त नहीं होती क्योंकि सरकार को जानकारी किसी आवेदन से मिली है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कंपनी का नाम बदलने संबंधी आदेश को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अंतरिम आदेश

शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी जबरन कार्रवाई, नाबालिगों की रिहाई के निर्देश

पुलिस कार्रवाई पर स्वतंत्र जांच की दिशा में बढ़ा मामला, CCTV-ड्रोन और बॉडी कैमरा फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश

Justice Ambit Legal Desk

नई दिल्ली। छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस ज्यादती और बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2026 को महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। Shailendra Mani Tripathi v. Union of India & Ors. मामले में न्यायालय ने प्रथमदृष्टया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को गंभीरता से लेते हुए प्रदर्शन से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ जबरन कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, दूसरी ओर पुलिसकर्मियों के घायल होने का दावा

मामला नीट-2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक की आशंकाओं को लेकर हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कथित रूप से पैलेट गन, रबर बुलेट, इलेक्ट्रॉनिक बैटन, कील लगी लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार एक छात्र की आंखों की रोशनी तक चली गई। वहीं केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन की ओर से पुलिस ज्यादती के आरोपों से इनकार किया गया। प्रतिपक्ष की ओर से दावा किया गया कि प्रदर्शन स्थल में असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे और पथराव सहित हिंसक घटनाओं में 280 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा–स्वतंत्र जांच के लिए प्रथमदृष्टया मजबूत आधार

न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का मजबूत आधार प्रस्तुत करते हैं। साथ ही पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की ओर से लगाए गए आरोपों तथा केंद्र सरकार के पक्ष को भी जांच के दायरे में रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी कैमरा फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी-वॉर्न कैमरा रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और **PCR** लॉग सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य जांच के दौरान साक्ष्यों के नष्ट होने या उनमें छेड़छाड़ की संभावना को रोकना है।

प्रदर्शनकारियों की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी

न्यायालय ने प्रदर्शनकारियों, विशेष रूप से छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी और डिजिटल डेटा को सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत के अनुसार यह कदम छात्रों की निजता की रक्षा और सार्वजनिक शर्मिंदगी अथवा उत्पीड़न से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।

शांतिपूर्ण छात्रों पर नहीं होगी जबरन कार्रवाई

अदालत ने स्पष्ट किया कि **FIR** की जांच जारी रह सकती है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ फिलहाल कोई **coercive measures** नहीं लिए जाएं। हालांकि, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को यह सुरक्षा नहीं दी गई है।

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रिहा करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों को रिहा किया जाए, जिनका कोई आपराधिक **antecedent** नहीं है। जरूरत पड़ने पर साधारण बॉन्ड लेकर उन्हें रिहा किया जा सकता है।

7 राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। संबंधित राज्यों के एडवोकेट जनरल या स्टैंडिंग काउंसिल को निर्धारित तारीख पर ऑनलाइन पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

अगली सुनवाई 3 अगस्त को

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 अगस्त 2026 को सूचीबद्ध किया है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह आदेश?

यह अंतरिम आदेश शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार, पुलिस कार्रवाई में अनुपातिकता, प्रदर्शनकारियों की निजता, साक्ष्यों के संरक्षण और पुलिस जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाता है। अदालत ने एक ओर शांतिपूर्ण छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया है, वहीं दूसरी ओर हिंसा या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की गुंजाइश भी बरकरार रखी है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला...

सालाना MGQ पूरा तो एक महीने की कमी पर नहीं लगेगा जुर्माना

यूपी के शराब लाइसेंसधारियों को बड़ी राहत, मनमानी और देरी से जारी डिमांड नोटिस पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली/ Justice Ambit Legal Desk

सुप्रीम कोर्ट ने Excise Law से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में उत्तर प्रदेश के देशी शराब लाइसेंसधारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों को खारिज कर दिया। State of U.P. & Ors. 1. Zafar Ali & Ors., 2026 INSC 753 में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि लाइसेंसधारी ने पूरे Excise Year में निर्धारित Annual Minimum Guaranteed Quota (MGQ) पूरा कर लिया है, तो केवल किसी एक महीने में Monthly MGQ कम उठाने के आधार पर उस पर मनमाने ढंग से penalty या अतिरिक्त licence fee नहीं थोपी जा सकती। न्यायमूर्ति S.V.N. Bhatti और न्यायमूर्ति N.V. Anjaria की पीठ ने 28 जुलाई 2026 को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें लाइसेंसधारियों के खिलाफ जारी demand notices को निरस्त किया गया था।

फैसला क्यों महत्वपूर्ण?

यह फैसला केवल E&cise Law तक सीमित चर्चा नहीं करता, बल्कि statutory rules की सही व्याख्या, administrative fairness और arbitrary recovery के विरुद्ध महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने रखता है। इससे उन मामलों में लाइसेंसधारियों को महत्वपूर्ण कानूनी आधार मिल सकता है, जहां–

- Annual MGQ पूरा किया गया हो;
- किसी एक महीने में shortfall हुआ हो;
- पिछले महीनों का credit balance उपलब्ध हो;
- विभाग ने credit balance का समायोजन नहीं किया हो;
- निर्धारित समय पर notice नहीं दिया गया हो;
- E&cise Year समाप्त होने के काफी बाद demand notice जारी किया गया हो।

देशभर के E&cise मामलों पर क्या असर?

यह निर्णय सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश Excise Rules, 2002 की व्याख्या से जुड़ा है। इसलिए इसे हर राज्य के E&cise मामलों में स्वत: लागू मानना उचित नहीं होगा।

हालांकि, जहां अन्य राज्यों के नियमों में समान प्रकार की Annual MGQ, monthly adjustment, credit balance और notice procedure की व्यवस्था है, वहां इस फैसले के कानूनी सिद्धांतों को उपयुक्त तथ्यों और संबंधित राज्य के नियमों के आधार पर अदालत के समक्ष रखा जा सकता है।

क्या था पूरा विवाद?

मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में देशी शराब की दुकानों के लाइसेंस से जुड़ा था। संबंधित लाइसेंसधारियों को **E&cise Years** 2006-07 और 2007-08 के लिए **Form C.L. z-C** के तहत लाइसेंस जारी किए गए थे। लाइसेंस में **Minimum Guaranteed Quota** निर्धारित था। लाइसेंसधारियों ने पूरे साल का निर्धारित **Annual MGQ** पूरा कर लिया था, लेकिन मार्च 2008 में कुछ दुकानों में उस महीने की निर्धारित **Monthly MGQ** से कम शराब उठाई गई। राज्य सरकार ने इस मासिक कमी को आधार बनाकर **penalty, licence fee** और **interest** की मांग की तथा **security deposit** से राशि समायोजित की।

Justice Ambit Legal Analysis

सिर्फ एक महीने की कमी दिखाकर पूरे साल की compliance को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता–यदि लागू नियमों की समग्र व्यवस्था annual performance और credit adjustment को महत्व देती है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रशासन को यह संदेश देता है कि राजस्व वसूली भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के भीतर ही होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर जताई आपत्ति?

न्यायालय के सामने मुख्य सवाल था कि जब लाइसेंसधारी ने पूरे साल का **Annual MGQ** पूरा कर लिया, तो क्या केवल एक महीने की **shortfall** को अलग करके **penalty** लगाई जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और माना कि संबंधित नियमों को समग्र रूप से पढ़ना आवश्यक है। कोर्ट ने विशेष रूप से **Rules** 14 और 15 में उपलब्ध **credit balance** की व्यवस्था पर ध्यान दिया।

Credit Balance को नजरअंदाज नहीं कर सकता विभाग

यदि लाइसेंसधारी किसी महीने में निर्धारित मात्रा से अधिक शराब उठाता है, तो नियमों के तहत उसे **licence fee** का **credit balance** प्राप्त हो सकता है। ऐसे **credit balance** को बाद के महीनों की गणना में समायोजित किया जाना चाहिए। केवल किसी एक महीने की कमी को अलग करके **demand** तैयार करना, जबकि पिछले महीनों में उपलब्ध **credit balance** को ध्यान में नहीं रखा गया हो, नियमों की सही व्याख्या नहीं मानी जा सकती।

एक साल बाद जारी किया Demand Notice भी सवालों के घेरे में

मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू **demand notices** का समय था। मार्च 2008 में कथित **shortfall** होने के बाद **demand notices** मार्च 2009 में जारी किए गए। यानी संबंधित **E&cise Year** समाप्त होने के काफी समय बाद विभाग ने **recovery** की कार्रवाई की।

नियम 14(**c**) में **shortfall** की स्थिति में निर्धारित समय के भीतर **notice** देने की प्रक्रिया का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर कार्रवाई न करना और बाद में **demand** उठाना मामले की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

प्रशासनिक कार्रवाई मनमानी नहीं हो सकती

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक एवं राजस्व अधिकारियों की कार्रवाई **reasonable, lawful** और **statutory rules** के अनुरूप होनी चाहिए। किसी नियम की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती जिससे लाइसेंसधारी द्वारा पूरे वर्ष की वास्तविक **compliance** को नजरअंदाज कर केवल एक **isolated month** की कमी को आधार बनाकर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया जाए।

सरकार की दूसरी दलीलें भी नहीं मानी गईं

राज्य सरकार की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि लाइसेंसधारियों के पास वैधानिक **appeal** का विकल्प था और इसलिए **High Court** में **writ petition** स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी। इसके अलावा **security deposit** का कुछ हिस्सा वापस स्वीकार करने के कारण लाइसेंसधारियों के **demand** को चुनौती देने के अधिकार पर भी सवाल उठाया गया। इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया गया और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया।

वकीलों और लाइसेंसधारियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश

किसी भी ऐसे मामले में केवल **demand notice** देखना पर्याप्त नहीं होगा। पूरे **E&cise Year** का रिकॉर्ड, **Annual MGQ, month-wise lifting, credit balance, licence fee payment, security deposit** और **notice** की तारीखों का मिलान करना महत्वपूर्ण होगा।

'DYNAFRESH' ट्रेडमार्क पर रोक बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- रजिस्ट्रार के पुराने आदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकता आवेदक

'DYNA' से भ्रामक समानता और Bona Fide उपयोग साबित नहीं होने पर रजिस्ट्रार का आदेश बना आधार, बाद के 45 GST बिल भी नहीं दिला सके राहत

नई दिल्ली/ Justice Ambit

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ट्रेडमार्क विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में 'DYNAFRESH' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर लगाई गई अंतरिम रोक को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार का कोई आदेश संबंधित पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दिया जाता और वह अंतिम रूप ले लेता है, तो बाद की कार्यवाही में उसी मुद्दे को दोबारा उठाकर उस आदेश को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।

मामला Jagdish Dahyalal Patel ÕÙæ× Anchor Consumer Products Private Limited, 2026:DHC:5852-DB का है। निर्णय 21 जुलाई 2026 को न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने सुनाया।विवाद 'DYNA' और 'DYNAFRESH' ट्रेडमार्क को लेकर Anchor Consumer Products के पास 'DYNA' ट्रेडमार्क पंजीकृत है और कंपनी द्वारा इसका उपयोग साबुन तथा पर्सनल केयर उत्पादों के लिए लंबे समय से किया जा रहा है। दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने 'DYNAFRESH' नाम से Class 3 में ट्रेडमार्क आवेदन किया था। इस आवेदन में उपयोग का दावा भी किया गया था। हालांकि, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ने 29 जुलाई 2024 को आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए माना कि 'DYNAFRESH' शब्द 'DYNA' से ध्वन्यात्मक और दृश्य रूप से भ्रामक रूप से समान है तथा आवेदक अपने उपयोग के दावे को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सका। रजिस्ट्रार ने अपनाने को भी bona fide नहीं माना।

फैसले से निकले महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत

- रजिस्ट्रार का अप्रतिवादित आदेश अंतिम प्रभाव रखता है।
- असफल ट्रेडमार्क आवेदन के बाद उसी विवाद को नए आवेदन के माध्यम से दोबारा उठाना जोखिमपूर्ण है।
- बाद के invoices पूर्व में दर्ज lack of bona fides के निष्कर्ष को स्वत: समाप्त नहीं करते।
- Ex-parte injunction मामलों में material facts का disclosure महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्येक गैर-प्रकटीकरण से injunction स्वत: समाप्त नहीं होती।
- Deceptive similarity और prior registered mark के अधिकार अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं।

रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती नहीं दी गई

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से यह देखा कि रजिस्ट्रार के उक्त आदेश को अपीलकर्ता ने चुनौती नहीं दी। इसलिए वह आदेश अंतिम रूप ले चुका था। इसके बाद अपीलकर्ता ने उसी 'DYNAFRESH' ट्रेडमार्क के लिए एक दूसरा आवेदन दाखिल किया, लेकिन पहले आवेदन की अस्वीकृति और रजिस्ट्रार के प्रतिकूल निष्कर्ष का खुलासा नहीं किया।

कोर्ट ने इस आचरण को प्रथम दृष्टया bona fide नहीं माना और कहा कि यह पूर्व आदेश को दरकिनार करने का प्रयास प्रतीत होता है।

45 GST इनवॉइस भी नहीं बदल सके स्थिति

अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उसके पास वर्ष 2021 से 'DYNAFRESH' के उपयोग को दर्शाने वाले 45 GST-paid ta& invoices मौजूद हैं और इन दस्तावेजों का खुलासा वादी ने नहीं किया। इसी आधार पर अंतरिम निषेधाज्ञा को वापस लेने की मांग की गई। लेकिन डिवीजन बेंच ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने माना कि बाद में पेश किए गए GST invoices उस पूर्व निष्कर्ष को समाप्त नहीं कर सकते, जिसमें रजिस्ट्रार पहले ही उपयोग के दावे को साबित न होने और ट्रेडमार्क अपनाने को bona fide नहीं होने के संबंध में निष्कर्ष दे चुका था।

दूसरे आवेदन को लेकर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

हाईकोर्ट ने यह भी माना कि पहले आवेदन की अस्वीकृति का खुलासा किए बिना दूसरा आवेदन दाखिल करना प्रथम दृष्टया bona fide नहीं था। कोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ता पहले रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देकर उसके खिलाफ उपलब्ध कानूनी उपाय अपना सकता था। लेकिन आदेश को चुनौती दिए बिना बाद में उसी ट्रेडमार्क के लिए नया आवेदन करना पूर्व आदेश को overreach करने का प्रयास माना गया।

ट्रेडमार्क मालिकों और आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश

यह फैसला ट्रेडमार्क विवादों में एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक संदेश देता है कि रजिस्ट्रार के प्रतिकूल आदेश को समय पर चुनौती देना आवश्यक है। यदि आदेश को चुनौती नहीं दी जाती और वह अंतिम हो जाता है, तो बाद की कार्यवाही में उसी मुद्दे को नए दस्तावेजों या नए आवेदन के सहारे पुनर्जीवित करना कठिन हो सकता है। वहीं, ट्रेडमार्क मालिकों के लिए यह निर्णय इस बात को मजबूत करता है कि किसी पूर्व पंजीकृत ट्रेडमार्क से deceptive similarity होने पर अदालतें अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं, विशेषकर तब जब दूसरे पक्ष के adoption और bona fide use पर पहले ही प्रतिकूल निष्कर्ष मौजूद हो।

निष्कर्षत: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बाद के दस्तावेज और invoices उस प्रतिकूल आदेश को स्वत: निष्प्रभावी नहीं कर सकते जिसे संबंधित पक्ष ने समय रहते चुनौती ही नहीं दी। इस मामले में 'DYNAFRESH' के इस्तेमाल पर लगी अंतरिम रोक बरकरार रही और अपील खारिज कर दी गई।

क्या वादी ने तथ्य छिपाए?

अपीलकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि वादी ने अंतरिम निषेधाज्ञा हासिल करते समय महत्वपूर्ण GST invoices और उपयोग से संबंधित तथ्यों को छिपाया।

कोर्ट ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया। डिवीजन बेंच ने पाया कि वादी ने पहले ट्रेडमार्क आवेदन और उसकी स्थिति का खुलासा किया था। साथ ही, निचली अदालत के समक्ष वर्ष 2021 से संबंधित Amazon listings सहित अन्य सामग्री भी उपलब्ध थी। इसलिए ऐसा कोई material suppression नहीं पाया गया जिससे अंतरिम निषेधाज्ञा का परिणाम बदल जाता।

'Ex-parte' अंतरिम रोक भी बरकरार

मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 26 मई 2026 को 'DYNAFRESH' के इस्तेमाल के विरुद्ध e&-parte ad-interim injunction जारी की थी। डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता की चुनौती को खारिज करते हुए उस अंतरिम रोक को बरकरार रखा। अदालत ने यह भी महत्वपूर्ण माना कि अपीलकर्ता ने deceptive similarity, respondent की goodwill और reputation ÏÍæ bona fide adoption से जुड़े मूल निष्कर्षों को प्रभावी रूप से चुनौती नहीं दी। उसका मुख्य जोर केवल कथित invoices के suppression पर था, जिसे कोर्ट ने पर्याप्त आधार नहीं माना।

बिहार पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक एक्शन

तत्कालीन SDPO अमित कुमार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश, गंभीर आरोपों पर मांगा गया जवाब

पटना। बिहार गृह विभाग ने पुलिस महकमे से जुड़े एक मामले में बड़ा कदम उठाते हुए तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, इमामगंज, गया एवं संपत्ति पुलिस उपाधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना रहे अमित कुमार के विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह विभाग की आरक्षी शाखा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, आदेशोल्लंघन, मनमानेपन एवं संदिग्ध आचरण से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया सामने आए हैं।

दो थाना कांडों से जुड़ा मामला

विभागीय आदेश में लडुआ थाना कांड संख्या 22/2023 एवं कोठी थाना कांड संख्या 109/2023 का उल्लेख किया गया है। इन मामलों में बरती गई कथित लापरवाही एवं कार्यशैली को लेकर विभाग ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय लिया है।

अधिकारी को दिया गया बचाव का अवसर

गृह विभाग ने नियम 17(4) के तहत अमित कुमार को आरोप-पत्र उपलब्ध कराते हुए उनसे निर्धारित अवधि के भीतर लिखित बचाव बयान प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही अधिकारी से यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि- 1. क्या वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं? 2. क्या वे अपने बचाव में कोई साक्ष्य अथवा साक्षियों को प्रस्तुत करना चाहते हैं? विभाग ने आरोपों के संबंध में अधिकारी से प्रत्येक आरोप को स्पष्ट रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने को कहा है।

जवाब नहीं दिया तो हो सकती है एकतरफा जांच

गृह विभाग के आदेश में साफ किया गया है कि यदि निर्धारित समय में लिखित बचाव बयान प्राप्त नहीं होता है तो जांच एकपक्षीय रूप से संचालित की जा सकती है। यानी अब गेंद संबंधित पुलिस अधिकारी के पाले में है और उन्हें विभाग के सामने अपना पक्ष रखना होगा।

पुलिस मुख्यालय को भी भेजा गया आदेश

गृह विभाग ने आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना तथा पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार को भी भेजी है। पुलिस मुख्यालय से संबंधित अधिकारी को आरोप-पत्र की विधिवत तामिला कराने और उसका प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

Justice Ambit की विशेष रिपोर्ट

गृह विभाग का यह आदेश पुलिस प्रशासन में जवाबदेही और अनुशासन को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि विभागीय जांच का आदेश अंतिम दोषसिद्धि नहीं है। जांच के दौरान संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा और उपलब्ध साक्ष्यों एवं बचाव पक्ष के जवाब के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि विभागीय जांच में लगाए गए आरोपों पर अमित कुमार का बचाव क्या होगा और जांच के बाद बिहार सरकार किस प्रकार की कार्रवाई करती है?

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

एक पक्ष की मनमानी से नियुक्त आर्बिट्रेटर अमान्य, अवॉर्ड हुआ रद्द

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्यस्थता (Arbitration) से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी Arbitration Clause में किसी एक पक्ष को ही Sole Arbitrator नियुक्त करने का विशेष और एकतरफा अधिकार दिया गया है, तो ऐसी नियुक्ति कानूनन टिकाऊ नहीं है। कोर्ट ने ऐसी नियुक्ति के आधार पर पारित अवॉर्ड को रद्द करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई के लिए नया Sole Arbitrator नियुक्त किया है।

मामला Bhalani Book Corporation & Ors. बनाम Indiabulls Housing Finance Limited Company & Ors., 2026 DHC 5914 का है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने की।

एकतरफा नियुक्ति पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

मामले में पक्षकारों के बीच हुए Loan Agreement में Arbitration Clause था। इस क्लॉज के तहत ऋणदाता कंपनी को Sole Arbitrator नियुक्त करने का विशेष अधिकार दिया गया था। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कंपनी ने 10 फरवरी 2023 को एक sole Arbitrator की नियुक्ति कर दी।

इसके बाद Arbitrator ने कार्यवाही करते हुए 10 अक्टूबर 2023 को ऋणदाता के पक्ष में अवॉर्ड पारित कर दिया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने Arbitration and Conciliation Act, 1996 की Section 34 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि rbitrator की नियुक्ति ही Section 12(5) के प्रावधानों के विपरीत थी।

Supreme Court के महत्वपूर्ण फैसलों का सहारा

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में Supreme Court के महत्वपूर्ण फैसलों-TRF Ltd. v. Energo Engineering Projects Ltd., Perkins Eastman Architects DPC v. HSCC (India) Ltd. और Bhadra International (India) Pvt. Ltd. v. Airports Authority of India-के सिद्धांतों को लागू किया।

कोर्ट ने माना कि जिस पक्ष का विवाद के परिणाम में सीधा हित है, उसे अकेले Arbitrator नियुक्त करने का अधिकार देना Arbitration Tribunal की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत है।

सिर्फ कार्यवाही में शामिल होने से नहीं माना जाएगा Waiver

फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यदि किसी पक्ष ने Arbitration proceedings में हिस्सा लिया या नियुक्ति के समय चुप्पी साधी, तो मात्र इससे Section 12(5) के तहत मौजूद statutory ineligibility समाप्त नहीं हो जाती।

Section 12(5) से waiver तभी संभव है, जब विवाद उत्पन्न होने के बाद दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से लिखित समझौते के माध्यम से waiver करें। इस मामले में ऐसा कोई express written waiver मौजूद नहीं था।

नियुक्ति में खामी को कोर्ट ने माना मूलभूत दोष

हाईकोर्ट ने माना कि Arbitrator की नियुक्ति में मौजूद कानूनी खामी केवल तकनीकी त्रुटि नहीं थी, बल्कि यह Arbitral Tribunal के गठन की जड़ तक जाती है। जब Arbitrator की नियुक्ति ही कानून के अनुरूप नहीं थी, तो उसके द्वारा पारित अवॉर्ड को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

पुराना अवॉर्ड रद्द, नई नियुक्ति

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर 2023 के विवादित Arbitral Award को set aside कर दिया। दोनों पक्षों की सहमति से अंजना गोसाईं, अधिवक्ता को नया स्थायद्व Arbitrator नियुक्त किया गया। Arbitration proceedings को DIAC Rules के अनुसार आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

कोर्ट ने पक्षकारों के सभी अधिकार और दलीलें खुली रखी हैं तथा स्पष्ट किया कि फैसले में की गई टिप्पणियां नए Arbitrator की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगी।

वकीलों और कंपनियों के लिए क्या है संदेश?

यह फैसला Arbitration Agreements तैयार करने वाली कंपनियों और अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे Arbitration Clause से बचना होगा जिसमें किसी एक पक्ष को ही Sole Arbitrator चुनने का पूर्ण अधिकार दिया गया हो।

साथ ही, यदि किसी पक्ष को Section 12(5) के तहत statutory ineligibility से waiver करना है तो विवाद उत्पन्न होने के बाद express written agreement आवश्यक होगा। केवल rbitration proceedings में भाग लेना या आपत्ति नहीं करना पर्याप्त नहीं है।

साफ संदेश:

जिस पक्ष का विवाद में हित है, उसे अकेले rbitrator चुनने की शक्ति नहीं दी जा सकती; और ऐसी नियुक्ति पर आधारित Award भी कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकता।

Heavy rain hits eastern parts of Ernakulam, DTPC shuts tourist spots

KOCHI. Heavy rain lashed different parts of Ernakulam district on Saturday (August 1, 2026) morning, prompting authorities to issue warnings and advisories. While incessant rain persisted across the district on Friday (July 31, 2026) night, the city felt some respite in the morning. However, the eastern region of the district, mainly Kothamangalam and nearby areas, continued to receive rain in the morning, reportedly inundating a few houses and isolating certain areas.

District Disaster Management Authority has advised those staying along the Muvattupuzha and Thodupuzha rivers to stay safe as water level in both the rivers have surpassed the dangerous mark.

In Kothamangalam area, Pooyamkutty, a tributary of the Periyar, was in spate. Manikandanchal bridge across the river was submerged. Tribal hamlets including Uriyappetti, Vellaramkuthu, Vaari, Kunjippara and Thalavachapara were isolated after a traditional ferry service across the Pooyamkutty river was disrupted.

A few houses and roads were inundated in Urulanthanni, a forest area in Kuttampuzha garama panchayat. The compound wall of an anganwadi collapsed amid the heavy rain. However, nobody was injured. All tourist spots operated by the Ernakulam District Tourism Promotion Council have been closed for the day in view of the orange alert issued in the district, authorities said.

High Alert In 13 Gujarat Districts As Weather Office Predicts Heavy Rain

Gujrat. Gujarat has intensified its disaster preparedness measures and placed 13 districts on high alert ahead of a forecast of heavy to extremely heavy rainfall between July 31 and August 2, with the state government cancelling leave for officials in vulnerable districts, activating round-the-clock control rooms and directing emergency response agencies to remain ready for deployment. The measures were reviewed at a comprehensive meeting chaired by Additional Chief Secretary (Revenue) Dr Jayanti Ravi at the State Emergency Operation Centre (SEOC) in Gandhinagar.

The meeting, held through video conference, was attended by Collectors and senior officials from Surat, Vadodara, Ahmedabad, Bhavnagar, Bharuch, Anand, Narmada, Tapi, Dang, Chhota Udepur, Panchmahal, Dahod and Mahisagar districts, all of which have been placed on 'high alert' following the India Meteorological Department's forecast. Dr Ravi conducted a detailed review of the prevailing situation and the disaster management preparedness of the districts expected to be affected. She directed district administrations to remain on maximum alert and instructed that all officials' leave in the identified districts be cancelled with immediate effect.

To strengthen the emergency response, Dr Ravi ordered that 24x7 control rooms remain operational in every district and that one Class-I officer be deployed round the clock to supervise operations.

FIR lodged against Noida woman for 'abusive' remarks against PM Modi during Jantar Mantar protest

New Delhi. A Zero FIR has been lodged at Noida's Expressway police station against a woman for allegedly using abusive language against Prime Minister Narendra Modi during a protest at Jantar Mantar in New Delhi, police said on Thursday.

The FIR was registered on a complaint filed by Smriti Singh, a resident of Ghaziabad, against Ruchika Singh, a resident of Sector 168 in Noida.

According to the FIR, the complainant alleged that on July 23, the accused used "abusive and objectionable" language against the prime minister at Jantar Mantar, hurting the dignity of the constitutional office and with the intention of spreading hatred and disturbing public peace.

Based on the complaint, the police registered a case under Sections 352 (intentional insult to provoke breach of peace), 353(1) (statements conducing to public mischief) and 356(1) (defamation) of the Bharatiya Nyaya

Sanhita (BNS), officials said.

Additional Deputy Commissioner of Police (Noida) Manisha Singh confirmed the registration of the case.

"A resident of Ghaziabad lodged an FIR against a resident of Sector 168, Noida, alleging that she used abusive language against the Prime Minister of India at Jantar Mantar. It is a Zero FIR and will be transferred to New Delhi for further investigation," the officer said. Cockroach Janata Party (CJP) supporters raise slogans as they gather ahead of a protest march at the Jantar Mantar in New Delhi. Delhi govt drops cases against CJP protesters, excludes those with criminal backgrounds Officials said a "Zero FIR" is an FIR that can be registered at any police station, even if the alleged offence did not occur within that police station's jurisdiction. It is then transferred to the police station that has the authority to investigate the case. This ensures that a complaint is recorded immediately without delay over jurisdictional issues.

The youth-led Cockroach Janta Party (CJP) protests at Jantar Mantar in Delhi concluded on July 25. Thousands of student activists, joined by innovator-activist Sonam Wangchuk during his 26-day hunger strike, mobilised to express public anger over the alleged widespread competitive examination paper leaks. Following intense demonstrations, police standoffs and a major march to Parliament on July 20, the agitation resulted in the resignation of Union education minister Dharmendra Pradhan. The CJP officially ended the protest after the government conceded to their core demands which included educational reforms.

23-Year-Old Wife Of International Kabaddi Player Dies By Suicide In HaryanaThe couple welcomed their son, Hardik, in November last year.

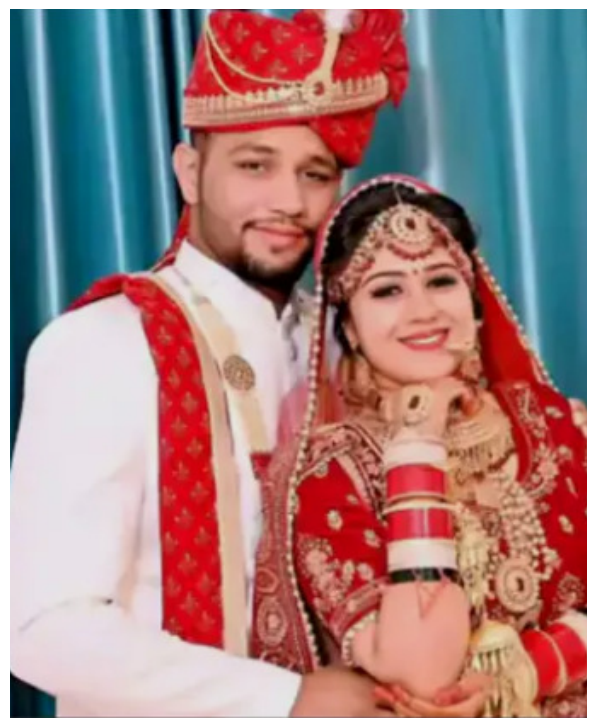

New Delhi. The 23-year-old wife of international kabaddi player Sheelu Balhara allegedly died by suicide at their home in Haryana's Rohtak district on Friday afternoon. Muskan, a resident of Rohtak's Meham area, married Sheelu in December 2023. The couple welcomed their son, Hardik, in November last year. Police reached the spot after receiving information, and a forensic team was called in to investigate the case. The reason behind the suicide is not yet known. According to reports, Muskan had posted a reel on a Punjabi song just a day before taking the step. The incident comes days after a government teacher died by suicide in Dehradun, allegedly because she was being harassed by her husband and in-laws. Srishti Kandhari married Saurabh Raturi, who is also a government employee, in November last year. They lived in the Doiwala area, about 20 km from Dehradun city. In her police complaint, Kandhari's mother alleged her daughter was harassed mentally and physically for dowry, while her husband and in-laws kept calling her "unlucky" and "inauspicious". "Sorry mummy, main aise ja rahi hoon (Sorry, I am leaving like this)," she blurts out between sobs. "Everything has become so strange. I have been enduring this for six months... Now I can't endure it anymore. Their mindset can never change. They keep blaming me for things that happened after our marriage. (Calling me) 'manhoos, manhoos' (cursed)," Kandhari said in the 90-second video.

Injured non-local worker succumbs, death toll two in Kulgam terror attack

Srinagar. The injured non-local worker, who suffered bullet wounds in a targeted terror attack on Friday (July 31, 2026) evening in south Kashmir's Kulgam, succumbed to his injuries on Saturday (August 1, 2026), taking the death toll to two. Officials identified the victim as Bhopendra from Chhattisgarh. He was shifted to a Srinagar hospital on Friday (July 31) night with chest injuries and later succumbed. Earlier, another non-local worker, identified as Deepak from Chhattisgarh, was shot dead in the terror attack in Kulgam's Kelam area. Suspected terrorists on Friday evening opened fire on the non-local workers who work at a brick kiln in Kulgam. They managed to flee the area under the cover of darkness. Meanwhile, security forces resumed search operations in parts of south Kashmir to track the attackers. Security on the Amarnath yatra has also been beefed up.

President Grants Assent To Amendment Enhancing Punishments For Unfair Means In Public Examinations

New Delhi. The President of India on Friday (July 31) granted assent to the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Act, 2026, which was passed by the Parliament last week, introducing stricter penalties for examination malpractices, mandating time-bound investigations and trials, and providing for Special Fast Track Courts to deal with offences under the law.

The Act amends the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, which was enacted to curb the use of unfair means in public examinations and deter organised cheating networks.

The 2026 Bill was introduced by the Union Government in the wake of the nationwide protests by the students against the exam paper leaks, which culminated in the resignation of Dharmendra Pradhan as the Union Education Minister on July 25. Among the key changes, the Bill increases the minimum punishment for persons resorting to unfair means from three years to five years' imprisonment, while the maximum sentence is enhanced from five years to ten years. The maximum fine is also increased from 10 lakh to 50 lakh.

For service providers involved in exam-related offences, the maximum fine has been raised from ?1 crore to ?5 crore, and the period during which they can be barred from conducting public examinations has been increased from four years to eight years. Directors and senior management found complicit in such offences will face a minimum of five years' imprisonment, with fines increased from 1 crore to ?5 crore.

The punishment for organised crimes relating to public examinations has also been tightened. The minimum imprisonment has been increased from five years to seven years, while the minimum fine has been enhanced from ?1 crore to 10 crore. To ensure swift investigation, the Bill mandates that investigations be completed within two months. It also empowers the Central Government to constitute a Special Task Force for probing offences under the Act, in addition to referring cases to a Central Investigating Agency.

The legislation further requires every State Government and Union Territory Administration, in consultation with the concerned High Court, to designate a Court of Session as a Special Fast Track Court for trying offences under the Act. Trials are to be conducted on a day-to-day basis and completed within three months from the filing of the chargesheet. Pending cases under the Act will also stand transferred to these Special Fast Track Courts.

The Bill also introduces a dedicated appellate mechanism. Appeals against judgments, sentences or orders of the Special Fast Track Courts will lie before a Division Bench of the High Court, which is expected to dispose of such appeals, as far as possible, within three months of their admission. Appeals against bail orders have also been specifically provided for. According to the Statement of Objects and Reasons, the amendments were prompted by recent incidents of question paper leaks and examination malpractices that undermined the transparency and credibility of public examinations. The government said the changes are intended to strengthen the fairness of the examination system, ensure time-bound investigations and trials, and enhance deterrence through stricter punishments.

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हर विरोध या कोर्ट स्टे Force Majeure नहीं, पुराने मामलों में एकतरफा Arbitrator नियुक्ति पर भी राहत

Ramasethu Infrastructure मामले में Arbitration Award बरकरार, Section 34 और 37 के तहत दखल से इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने Ramasethu Infrastructure Pvt. Ltd. बनाम Indian Railways Welfare Organisation मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए Arbitration Tribunal के Award को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी अनुबंध में Force Majeure Clause का लाभ तभी लिया जा सकता है, जब संबंधित घटना अनुबंध में निर्धारित शर्तों के दायरे में आती हो। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने Section 37 के तहत दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि Arbitrator द्वारा अनुबंध की की गई व्याख्या यदि एक संभव और तार्किक दृष्टिकोण है, तो केवल इसलिए कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि कोई दूसरा दृष्टिकोण भी संभव है।

क्या था विवाद?

मामला 140 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए वर्ष 2011 में दिए गए ठेके से जुड़ा था। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण ठेकेदार ने काम जारी रखने में असमर्थता जताई और बाद में Force Majeure Clause का सहारा लिया।

इसी दौरान स्थानीय निवासियों की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने परियोजना पर रोक लगा दी। हालांकि यह रोक 3 दिसंबर 2012 को हटा दी गई, लेकिन ठेकेदार ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए काम दोबारा शुरू नहीं किया। इसके बाद रेलवे संगठन ने अनुबंध समाप्त कर दिया तथा सुरक्षा जमा राशि जब्त करने और Performance Bank Guarantee को भुनाने की कार्रवाई की।

40 दिन का विरोध 90 दिन की शर्त पूरी नहीं करता

Arbitral Tribunal ने पाया कि स्थानीय निवासियों की कथित hostility की अवधि लगभग 40 दिन थी, जबकि संबंधित Force Majeure Clause के तहत आवश्यक अवधि 90 दिन थी।

Tribunal ने यह भी माना कि इसके बाद न्यायालय द्वारा लगाया गया लगभग 50 दिन का stay order अपने आप में अनुबंध में वर्णित Force Majeure घटना नहीं था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने Tribunal के इस निष्कर्ष को संभव एवं वैध व्याख्या माना और कहा कि इसमें ऐसी perversity नहीं है जिसके आधार पर Award को रद्द किया जा सके। Contract की व्याख्या Arbitrator के अधिकार क्षेत्र में कोर्ट ने दोहराया कि किसी अनुबंध की व्याख्या करना मुख्य रूप से Arbitral Tribunal के क्षेत्राधिकार में आता है। न्यायालय केवल इसलिए ,rbitrator के निष्कर्ष को नहीं बदल सकता क्योंकि उसे कोई दूसरा निष्कर्ष अधिक बेहतर लगता है।

कोर्ट के अनुसार, Award में हस्तक्षेप तभी उचित होगा जब निष्कर्ष इतना perverse हो कि वह न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दे।

एकतरफा Arbitrator नियुक्ति पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी

मामले में ठेकेदार ने Arbitrator की unilateral appointment को भी चुनौती दी थी। इस दलील को भी हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

Arbitrator की नियुक्ति 20 जून 2013 को हुई थी, जबकि Arbitration and Conciliation Act में Section 12(5) सहित संबंधित बदलाव 23 अक्टूबर 2015 से प्रभावी हुए।

कोर्ट ने BCCI v. Kochi Cricket के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि 2015 का Amendment Act संबंधित परिस्थितियों में prospective रूप से लागू होता है। इसलिए वर्ष 2013 में शुरू हुई कार्यवाही पर बाद में लागू हुए प्रावधान के आधार पर unilateral appointment को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता।

हाईकोर्ट ने क्या तय किया?

दिल्ली हाईकोर्ट ने

- Section 37 की अपील खारिज कर दी।
- Section 34 की याचिका खारिज करने वाले Single Judge के आदेश को बरकरार रखा।
- 23 दिसंबर 2014 के Arbitral Award में हस्तक्षेप से इनकार किया।
- Force Majeure के संबंध में Arbitrator की व्याख्या को plausible माना।
- 2013 में हुई Arbitrator की नियुक्ति पर 2015 ,mendment लागू करने से इनकार किया।

वकीलों और ठेकेदारों के लिए क्या है संदेश?

यह फैसला Arbitration मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को एक बार फिर स्पष्ट करता है। केवल स्थानीय विरोध, सुरक्षा संबंधी आशंका या न्यायालय द्वारा लगाए गए अस्थायी stay को स्वत: Force Majeure मानकर अनुबंधीय दायित्वों से बचा नहीं जा सकता।

साथ ही, Section 34 और 37 के तहत Award को चुनौती देने वाले पक्ष को केवल वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होगा; उसे यह दिखाना होगा कि ,rbitrator का निष्कर्ष गंभीर रूप से perverse या कानूनन अस्थिर है।

Justice Ambit Legal Desk:
मुख्य संदेश–"Arbitration Award में दखल अपवाद है, सामान्य नियम नहीं; और Force Majeure का आधार अनुबंध की स्पष्ट शर्तों से तय होगा।

RTI में मांगी गई अहम जानकारी देने से राज्य विशेष शाखा का इनकार

उदयपुर । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान में सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई थी। आवेदक आलोक यादव द्वारा 9 जुलाई एवं 15 जुलाई 2026 को प्रस्तुत आवेदनों के जवाब में राज्य विशेष शाखा, राजस्थान, जयपुर ने कई बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने से इनकार किया है। आवेदन में राजस्थान में कार्यरत सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की सूची, सुरक्षा मांगने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या, सुरक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित कार्रवाई एवं दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना से संबंधित रिकॉर्ड, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम तथा RTI कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों और मौतों से संबंधित आंकड़े मांगे गए थे। राज्य विशेष शाखा ने जवाब में कहा कि मांगी गई सूचनाएं इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती हैं। साथ ही पत्र में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ-9(23) न्याय-5/2005 जयपुर दिनांक 15.10.2005 का उल्लेख करते हुए RTI अधिनियम की धारा 24(4) के तहत राज्य विशेष शाखा को अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त बताया गया है। पत्र में यह भी बताया गया है कि इस मामले में प्रथम अपील 30 दिवस के भीतर की जा सकती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में उप महानिरीक्षक पुलिस, इंटेलीजेंस, राजस्थान, जयपुर का उल्लेख किया गया है।

बड़ा सवाल

RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और उन पर होने वाले हमलों से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक व्यवस्था एवं पारदर्शिता से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। ऐसे में राज्य विशेष शाखा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के बाद अब प्रथम अपील में मामला उठाया जाना महत्वपूर्ण होगा। Justice Ambit की नजर अब इस बात पर रहेगी कि प्रथम अपील में क्या निर्णय होता है और RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से जुड़े इन सवालों पर सरकारी रिकॉर्ड सामने आता है या नहीं।

16 अगस्त तक बढ़ी खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि, किसानों को मिला अतिरिक्त अवसर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच

जयपुर/नागौर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी है। इससे अब हजारों ऐसे किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो किसी कारणवश 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाए थे। योजना के तहत ऋणी, गैर-ऋणी एवं बटाईदार किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आय को सुरक्षित बनाने, खेती में जोखिम कम करने तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत किसानों को सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव सहित अन्य अधिसूचित प्राकृतिक जोखिमों से फसल क्षति होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने योजना के सफल संचालन हेतु चार बीमा कंपनियों का चयन किया है, जो विभिन्न जिलों में किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराएगी। किसान 16 अगस्त 2026 तक राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, निकटतम बैंक, सहकारी समिति, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। आयुक्त ने बताया कि गैर-ऋणी किसानों के लिए एग्रीस्टैक आईडी अनिवार्य है। साथ ही योजना के तहत किसान 14 अगस्त 2026 तक अपनी बीमित फसल के नाम में आवश्यक संशोधन करवा सकते हैं। वहीं जो किसान योजना से बाहर होना चाहते हैं, वे 9 अगस्त 2026 तक संबंधित वित्तीय संस्था में घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर योजना से बाहर होने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए प्रीमियम दरें अत्यंत रियायती रखी गई हैं। खरीफ की खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों पर किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। रबी की खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया गया है। शेष प्रीमियम राशि का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

एसपी के आदेश की पालना नहीं हुई?

दो साल बाद डीएसपी को फिर देना पड़ा आदेश, बानसूर थाने की कार्यशैली पर गंभीर सवाल

Legal Ambit के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनवीर सिंह ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की

कोटपूतली-बहरोड़। पुलिस विभाग के रिकॉर्ड और न्यायालयीन अभिलेखों के बीच कथित विरोधाभास को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। Legal Ambit के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता राव धनवीर सिंह नम्बदार ने पुलिस थाना कोटपूतली में परिवाद प्रस्तुत कर संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है।

2022 में SP अलवर ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 7 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा पत्र क्रमांक अप/अल/म.अ./22/8116 के माध्यम से थाना बानसूर को संबंधित मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। परिवाद में आरोप है कि इन निर्देशों की थाना स्तर पर अपेक्षित पालना नहीं की गई। इसी पत्र के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा संबंधित शिकायतकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 182 एवं 211 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए जाने का उल्लेख परिवाद में है।

करीब दो साल बाद फिर आया DSP का आदेश

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 1 अगस्त 2024 को पुलिस उप अधीक्षक, बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा आदेश क्रमांक 310 जारी किया गया।

इस घटनाक्रम ने सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को ही थाना बानसूर को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, तो उनकी समय पर पालना क्यों नहीं हुई? और करीब दो वर्ष बाद पुलिस उप अधीक्षक स्तर से फिर आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

'लगता है थानेदार जी DSP से भी बड़े हो गए!'

मामले को लेकर व्यंग्यात्मक सवाल उठ रहा है-अगर SP साहब के आदेश की पालना नहीं हुई और दो साल बाद DSP साहब को फिर आदेश करना पड़ा, तो क्या थानेदार जी पुलिस उप अधीक्षक से भी बड़े हो गए? बेशक यह सवाल व्यंग्यात्मक है, लेकिन इसके पीछे गंभीर प्रशासनिक प्रश्न है कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की कथित रूप से पालना नहीं होने के लिए जिम्मेदार कौन है?

2022 की FIR, पुलिस की अंतिम रिपोर्ट और न्यायालय का आदेश

परिवाद के अनुसार थाना बानसूर में FIR संख्या 434/2022, धारा 376 एवं 506 IPC के तहत दर्ज हुई थी। पुलिस जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट संख्या 668/2022 दिनांक 11 अक्टूबर 2022 न्यायालय में प्रस्तुत की गई। परिवाद में बताया गया है कि संबंधित न्यायालय ने 19 जुलाई 2023 को अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी।

राव धनवीर सिंह ने इसके बाद पुलिस अधिकारियों के समक्ष संबंधित शिकायतकर्ता के विरुद्ध IPC की धारा 182 एवं 211 के तहत कार्रवाई की मांग उठाई थी।

RTI के जवाब ने खड़े किए नए सवाल

राव धनवीर सिंह द्वारा RTI के माध्यम से मांगी गई सूचना के जवाब में पुलिस की ओर से कथित तौर पर बताया गया कि FIR संख्या 434/2022 के संबंध में IPC की धारा 182 एवं 211 के तहत इस्तगासा डिस्पैच नंबर 991-92 दिनांक 15 अप्रैल 2024 के माध्यम से न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

लेकिन जब परिवादी ने न्यायालय के अभिलेख संरक्षक से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगीं तो परिवाद में संलग्न न्यायालयीन पत्र के अनुसार 16 जून 2026 को बताया गया कि ऐसा कोई इस्तगासा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया और न ही रिकॉर्ड में दर्ज है।

पुलिस रिकॉर्ड बनाम कोर्ट रिकॉर्ड-आखिर सच क्या है?

यही कथित अंतर अब पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। यदि पुलिस के पत्राचार में किसी इस्तगासे को न्यायालय में पेश किए जाने की बात कही गई और दूसरी ओर न्यायालयीन रिकॉर्ड में उसका अस्तित्व नहीं मिलता, तो यह जांच का गंभीर विषय है कि रिकॉर्ड में यह अंतर कैसे उत्पन्न हुआ।

परिवाद में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। झूठी एफआईआर कराने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए-सुप्रीम कोर्ट की नजीर आरोपों की सत्यता का पूरा परीक्षण सामान्यत: जांच/ट्रायल का विषय है और हाईकोर्ट को ऐसे मामलों में सावधानी से हस्तक्षेप करना चाहिए।

इस मामले में बड़ा सवाल-झूठी एफआईआर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

परिवाद के अनुसार पुलिस ने FIR 434/2022 की जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश की और उसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने का उल्लेख है। साथ ही पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा संबंधित शिकायतकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 182 एवं 211 में कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की बात भी दस्तावेज में है।

ऐसे में सवाल उठता है-जब पुलिस की जांच में मामला झूठा पाए जाने का उल्लेख है और पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, तो उन निर्देशों की पालना क्यों नहीं हुई?

यदि निष्पक्ष जांच में यह प्रमाणित होता है कि FIR जानबूझकर झूठी सूचना देकर किसी व्यक्ति को फंसाने के उद्देश्य से कराई गई थी, तो शिकायतकर्ता एवं झूठे साक्ष्य देने वालों की भूमिका की भी कानून के अनुसार जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल-कानून सबके लिए बराबर है या नहीं?

एक तरफ 2022 में SP अलवर के निर्देश, दूसरी तरफ 2024 में DSP बानसूर का आदेश, तीसरी तरफ RTI में पुलिस द्वारा कथित इस्तगासा न्यायालय में पेश किए जाने की सूचना और चौथी तरफ न्यायालयीन रिकॉर्ड में उसके उपलब्ध नहीं होने का दावा-इन घटनाक्रमों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

Legal Ambit के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनवीर सिंह ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, चाहे वह शिकायतकर्ता हो, गवाह हो या लोक सेवक-कानून के अनुसार उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस परिवाद पर क्या कार्रवाई करता है और एसपी के आदेश की कथित पालना नहीं होने तथा पुलिस एवं न्यायालयीन रिकॉर्ड में सामने आए कथित अंतर की निष्पक्ष जांच कब और किस स्तर पर होती है।

Justice Ambit की नजर पूरे मामले की आगामी कार्रवाई पर बनी रहेगी।

नोट: यह समाचार परिवाद एवं उपलब्ध दस्तावेजों तथा संबंधित न्यायिक सिद्धांतों पर आधारित है। परिवाद में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच एवं संबंधित अधिकारियों/अन्य पक्षों का जवाब सामने आना अभी बाकी है। किसी व्यक्ति को दोषी मानना जांच और न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करेगा।

इस मामले का एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर झूठी सूचना देकर किसी निर्दोष व्यक्ति को आपराधिक मामले में फंसाया गया हो, तो मामला केवल FIR के खारिज या अंतिम रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2021 के एक फैसले में स्पष्ट किया कि FIR दर्ज करते समय पुलिस को यह तय नहीं करना होता कि सूचना सही है या झूठी; यह जांच का विषय है। लेकिन जांच के बाद सूचना झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध false FIR के लिए अभियोजन चलाने का विकल्प उपलब्ध है। इसका सीधा अर्थ यह है कि FIR दर्ज होना शिकायतकर्ता को जांच और जवाबदेही से मुक्त नहीं करता।

Bhajan Lal के सिद्धांत भी महत्वपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने State of Haryana 1. Bhajan Lal के स्थापित सिद्धांतों में ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की गुंजाइश स्वीकार की है, जहां आपराधिक कार्यवाही दुर्भावना से प्रेरित हो या कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो। सुप्रीम कोर्ट ने बाद के निर्णयों में भी कहा है कि दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना abuse of process of law हो सकता है।

हालांकि न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि स्वद्रुक के

सिर्फ शिकायतकर्ता ही नहीं, पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में

मामला केवल कथित झूठी स्वद्रुक तक सीमित नहीं है। वर्तमान परिवाद में पुलिस द्वारा न्यायालय में कथित इस्तगासा पेश किए जाने के दावे और न्यायालयीन रिकॉर्ड में उसके उपलब्ध नहीं होने का आरोप भी लगाया गया है।

इसलिए निष्पक्ष जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि-

- पुलिस अधीक्षक के 7 अक्टूबर 2022 के निर्देशों की पालना क्यों नहीं हुई?
- वर्ष 2024 में DSP को पुन: आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
- पुलिस द्वारा कथित इस्तगासा न्यायालय में पेश किए जाने की सूचना किस रिकॉर्ड के आधार पर दी गई?
- न्यायालयीन रिकॉर्ड में उक्त दस्तावेज उपलब्ध क्यों नहीं है?
- यदि किसी स्तर पर गलत सूचना या गलत रिकॉर्ड प्रस्तुत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
- और यदि एफआईआर जानबूझकर झूठी पाई जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो?

कई अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में

परिवाद में नेमसिंह, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), कोटपूतली-बहरोड़, RTI शाखा प्रभारी, तत्कालीन बानसूर थाना प्रभारी अरुण सिंह, संबंधित पुलिसकर्मी तथा जांच में सामने आने वाले अन्य लोक सेवकों की भूमिका की जांच की मांग की गई है।

दस्तावेजों के साथ FIR की मांग

राव धनवीर सिंह ने परिवाद के साथ पुलिस अधीक्षक अलवर का पत्र, न्यायालय का आदेश, स्वद्रुक आवेदन एवं जवाब, कथित डिस्पैच संख्या 991-92 तथा न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित अभिलेख सहित विभिन्न दस्तावेज संलग्न किए हैं।

लाडनूं में 'तबादला एक्सप्रेस' ने मचाई हलचल!

कहीं कुर्सी मिलते ही बल्ले-बल्ले, कहीं तबादले से मचा बवाल—राजनीतिक सिफारिशों और लेन-देन के आरोपों ने बढ़ाई बेचैनी

SDM से पटवारी तक तबादलों की गूंज, शिक्षकों के ट्रांसफर पर ग्रामीणों ने स्कूलों पर जड़े ताले

Justice Ambit की विशेष रिपोर्ट

लाडनूं। जुलाई का महीना राजस्थान में बारिश के साथ-साथ तबादलों की बरसात लेकर आया। सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की अदला-बदली हुई तो कहीं खुशी के ढोल बजे, कहीं चेहरे उतर गए और कहीं ग्रामीणों ने स्कूलों के गेट पर ही तालाबंदी कर दी। लाडनूं में भी तबादलों को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक चर्चाओं का बाजार गर्म है।

व्यंग्य में कहें तो-जुलाई में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन लाडनूं में 'तबादला विभाग' ने उससे भी बड़ा अलर्ट जारी कर दिया!

किसी के लिए 'गुड न्यूज', किसी के लिए 'गुडबाय'!

SDM से लेकर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और शिक्षकों तक हुए तबादलों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं।

कहीं अधिकारी के अपने क्षेत्र में आने पर समर्थक बल्ले-बल्ले कर रहे हैं तो कहीं कर्मचारी के जाने पर लोग पूछ रहे हैं-

आखिर ऐसी कौन-सी प्रशासनिक जरूरत आ गई कि इन्हें ही हटाना जरूरी हो गया?

विपक्ष का आरोप है कि कुछ तबादले राजनीतिक पसंद-नापसंद और कथित द्वेष के आधार पर करवाए गए।

अब जनता पूछ रही है-

सरकारी तबादला नीति चल रही है या 'अपनों को अपनाने और दूसरों को हटाने' की नीति?

शिक्षकों के तबादले पर गांवों में उबाल

सबसे ज्यादा नाराजगी शिक्षकों के तबादलों को लेकर दिखाई दे रही है। कई जगह ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने शिक्षकों के स्थानांतरण का विरोध करते हुए स्कूलों पर तालाबंदी कर दी।

ग्रामीणों का सवाल सीधा है- जहां शिक्षक पहले ही कम हैं, वहां से शिक्षक हटाकर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? विपक्ष का आरोप है कि कुछ शिक्षकों के तबादले राजनीतिक जलन, व्यक्तिगत पसंद-नापसंद या दबाव के चलते करवाए गए। यही नहीं, कुछ मामलों में पैसे के कथित लेन-देन के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे गंभीर आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों का जवाब बेहद जरूरी है।

तबादलों की नई 'व्यंग्यात्मक नीति'!

अगर लाडनूं के मौजूदा माहौल को देखकर कोई नई तबादला नीति लिखे तो शायद वह कुछ ऐसी होगी-काम कैसा है, यह बाद में देखेंगे पहले देखेंगे कि पहचान किससे है! और शिक्षक के लिए नियम शायद यह हो-बच्चों की संख्या मत देखिए, स्कूल की जरूरत मत देखिए देखिए कि आपकी फाइल किस टेबल से होकर गुजर रही है!

अगर पैसे के आरोप सही हैं तो मामला सिर्फ तबादले का नहीं

तबादलों में पैसे के लेन-देन के आरोप बेहद गंभीर हैं। यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलिए या राजनीतिक व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो जांच एजेंसियों को आरोपों की सत्यता की जांच करनी चाहिए। क्योंकि यदि तबादला भी 'रेट लिस्ट' से तय होने लगे तो फिर सवाल सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं रहेगा- सवाल पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का होगा।

जनता को चाहिए 'तबादला पारदर्शिता'

लाडनूं की जनता का सवाल सरकार से है-क्या तबादले वास्तव में प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर हुए हैं? यदि हां, तो प्रत्येक तबादले के पीछे का प्रशासनिक आधार स्पष्ट क्यों नहीं किया जाता? क्या स्कूलों में शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता का सर्वे किया गया? क्या विद्यार्थियों और ग्रामीणों की सुविधा को प्राथमिकता दी गई? और यदि किसी तबादले में राजनीतिक दबाव या आर्थिक लेन-देन की शिकायत है तो क्या उसकी जांच होगी?

Justice Ambit का सवाल

सरकारी कुर्सी किसी नेता की निजी संपत्ति नहीं और सरकारी स्कूल किसी राजनीतिक प्रयोगशाला का हिस्सा नहीं। अधिकारी और कर्मचारी जनता की सेवा के लिए हैं, किसी राजनीतिक खेमे की सेवा के लिए नहीं।

तबादला प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है- राजनीतिक बदले का हथियार नहीं। और शिक्षक का तबादला तो और भी संवेदनशील है, क्योंकि एक आदेश से सिर्फ शिक्षक की जगह नहीं बदलती- किसी गांव के बच्चे की पढ़ाई, किसी परिवार की उम्मीद और किसी स्कूल का भविष्य भी बदल सकता है।

अब असली सवाल यही है-

लाडनूं में तबादलों की 'दाल' सच में काली है या सिर्फ राजनीति के तड़के से काली दिखाई दे रही है? अगर सब कुछ नियम से हुआ है तो सरकार खुलकर बताए। अगर किसी ने नियम तोड़ा है तो कार्रवाई हो। और अगर पैसे लेकर तबादले कराने के आरोप झूठे हैं तो आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई हो। क्योंकि जनता को 'तबादला एक्सप्रेस' नहीं चाहिए— जनता को पारदर्शी प्रशासन चाहिए।

गहलोत बोले-अध्यक्षजी क्या नाराजगी जताएंगे, उन्होंने कोई नाराजगी नहीं जताई

कल कोई जॉइनिंग नहीं थी; जॉइनिंग नेताओं की होती है, कार्यकर्ताओं की नहीं

जयपुर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पार्टी में व्यक्तिगत ब्रांडिंग को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसने के बाद अब डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पूरे घटनाक्रम को लेकर सफाई देते हुए दावा किया है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कोई नाराजगी नहीं जताई, हम सब एकजुट हैं। कल जॉइनिंग जैसा कुछ नहीं था। जॉइनिंग नेताओं की होती है, कार्यकर्ताओं की नहीं। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ बीएपी से कांग्रेस में आए कार्यकर्ताओं ने गहलोत के बंगले पर चौथी बार उन्हें सीएम बनाने के नारे लगाए थे। इसके बाद जब कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय गए, तो वहां डोटासरा ने मालवीय को खरी-खरी सुनाने के साथ नारेबाजी को लेकर गहलोत का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा था।

अध्यक्षजी क्या नाराजगी जताएंगे

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा- हम सब एक हैं, एक होकर चलेंगे, एक होकर सरकार बनाएंगे और राजस्थान में सरकार बनना निश्चित है। बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए। नाराजगी न अध्यक्षजी (गोविंद डोटासरा) की है और न मेरी है।

सीजेआई बोले-विवाद सुलझाने के लिए बोलने से ज्यादा सुनना पडता

दो पड़ोसियों-दो देशों का मामला हो, विवाद सुलझाने का तरीका एक जैसा

जयपुर। जयपुर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा- जयपुर शहर को सामाजिक सौहार्द के सिद्धांत पर बसाया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती है। मध्यस्थता ये बताती है कि कोई भी एक आवाज किसी दूसरी आवाज को दबा ना पाए। सीजेआई ने कहा- जब आसपास कोई वकील नहीं होता था और विवाद होते थे, तब जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया- ग्राम पंचायतें मध्यस्थता से विवादों को हल करती थी। एक बात तब और आज कॉमन है कि विवाद का हल होने के बाद उन्हें उस गांव का नेतृत्व भी करना होता था। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल्स ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने यह कहा। इस कॉन्फ्रेंस में 52 कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधि आए हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- आज हम वैश्विक शांति स्थापित करने की बात करते हैं, जहां हम देशों की सीमाओं से आगे देखते हैं। विवाद चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, चाहे वह दो पड़ोसियों के बीच किसी कॉमन जगह को लेकर छोटा-सा झगड़ा हो या दो देशों के बीच युद्ध विराम का मामला हो, हर जगह विवाद को सुलझाने का मूल तरीका लगभग एक जैसा रहता है। टोंक रोड स्थित होटल ललित में हो रहे तीन दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सीजेआई) सूर्यकांत शुक्रवार शाम किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) की ओर से 2 अगस्त तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य विवादों में मीडिएशन को बढ़ावा देना है। उद्घाटन समारोह में सीजेआई सूर्यकांत के साथ जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश आभा नायर पटेल, हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं।

ट्रेनिंग और अनुभव से लगातार सीखने की जरूरत

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- किसी को बोलने से ज्यादा सुनना पड़ता है। किसी को दोनों पक्षों की बात को सही तरीके से समझकर एक-दूसरे तक पहुंचाना पड़ता है। साथ ही यह विश्वास रखना पड़ता है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और साथ मिलकर बेहतर जीवन जीने का रास्ता निकाल सकते हैं। यह कोई आसान या सामान्य स्किल नहीं है। कानूनी पेशे में यह सबसे कठिन स्किल है। इसे सीखने के लिए ट्रेनिंग और अनुभव से लगातार सीखने की जरूरत होती है।

मध्यस्थता से केस निपटारे में देश में दूसरे स्थान पर राजस्थान

राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा ने कहा- सीजेआई का मानना है कि मीडिएशन को सामाजिक सौहार्द और संस्था में विश्वास करने के टूल की तरह काम में लेना चाहिए। इस तीन दिन की कॉन्फ्रेंस में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक्टिंग सीजे ने कहा- आधुनिक लीगल सिस्टम को न केवल न्याय देने वाला होना चाहिए, बल्कि समाज के अंतिम छोर की भागीदारी करने वाला होना चाहिए। राजस्थान मध्यस्थता के माध्यम से केसों का निपटारा करने में भारत में दूसरे स्थान पर है।

संघर्ष से पहले समझौते का प्रयास करते हैं

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- हम हमेशा संघर्ष से पहले समझौते का प्रयास करते हैं। इसके दो उदाहरण हमारे इतिहास में हैं। राम युद्ध जीत सकते थे। वे भगवान हैं, उनके पास सेना थी, लेकिन उहोंने पहले समझौते के लिए अंगद को भेजा। यदि समझौता होता तो मैं हमला नहीं करूंगा। वहीं श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन के पास समझौते के लिए दूत भेजा। ये उदाहरण यह भी बताते हैं कि यदि कोई मानना न चाहे तो भगवान भी समझौते के जरिए उन्हें संघर्ष से नहीं बचा सकते हैं।

विवाद की जगह संवाद और मध्यस्ता अपनाएं

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा- हमारे यहां मध्यस्थता का सबसे बडा उदाहरण पंच परमेश्वर परंपरा रही है। इसी पंच परमेश्वर की परंपरा से भारत अंतराष्ट्रीय मध्यस्थता के स्तर पर पहुंचा है। एआई, ब्लॉकचेन और इंडस्ट्री 4.0 से कानूनी चुनौतियां बडी हैं। सीमा पार व्यापारिक विवादों की प्रकृति तेजी से बदल रही है। ऐसे में जटिल विवादों के लिए आधुनिक और प्रभावी समाधान की जरूरत है। मेघवाल ने कहा- संवाद से मिलने वाला न्याय समाज को अधिक शांतिपूर्ण बनाता है। मजबूत न्याय व्यवस्था से अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र दोनों सशक्त होते हैं। भारत शांति, समृद्धि और विधि के शासन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विवाद की जगह संवाद और मध्यस्थता की संस्कृति अपनाने का आह्वान किया।

सीएम बोले- अदालतों के चक्कर काटने पर भी विवाद नहीं सुलझते

सीएम भजनलाल ने कहा- आज दुनिया को शांति और मध्यस्थता की जरूरत है। आज कोर्ट में लंबित मुकदमों से जब व्यक्ति की संपति, समय और पैसा सब छीन जाता है। सालों-साल अदालतों के चक्कर काटने पर भी जो विवाद नहीं सुलझते हैं। ऐसे में मध्यस्थता से ऐसे विवादों का समाधान निकलता है। वह समाधान स्थायी और लंबे समय के लिए होता है। सीएम ने कहा- सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का काम हमारे यहां पंचायतें करती आई हैं। वो केवल विवाद ही नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के बीच के कड़वाहट को भी खत्म करते थे। पीएम मोदी ने इसी सोच की वजह से देश में संस्थागत मध्यस्थता को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। राजस्थान में 5.85 लाख लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

हॉकी-डंडे और त्रिशूल नहीं ले जा सकेंगे कांवड़िए: तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकेंगे, पुलिस ने लगाई रोक, नॉन वेज दुकानों का समय तय

जयपुर। प्रदेश में कांवड यात्रा को लेकर पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। कांवड़ यात्री अपने साथ हॉकी, डंडे, त्रिशूल, बेसबॉल बैट या अन्य हथियार नहीं ले जा सकेंगे। ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली या अन्य गाडियों में तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकेंगे। कांवड यात्रियों को अपनी आईडी साथ रखनी होगी। कांवड के निर्धारित रूट पर ही यात्रा निकाली जाएगी। पुलिस ने सुरक्षा, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था के लिए ये निर्देश दिए हैं। पुलिस ने कावंड यात्रा के रूट की नॉन-वेज दुकानों को सफाई रखने के साथ उनका समय भी तय किया है। जयपुर के प्रसिद्ध गलता तीर्थ सहित प्रमुख कांवड़ मार्गों पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर साइबर सेल की नजर रहेगी।

हरिद्वार से निकलेगी यात्रा, प्रदेशभर में हाई अलर्ट

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर एडीजी (कानून-व्यवस्था) वी.के. सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिए। इसमें कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और मैनेजमेंट रखने के लिए कहा। उन्होंने बताया- हरिद्वार से गंगाजल लेकर श्रद्धालु 11 अगस्त तक अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। पिछले साल करीब 4.5 करोड़ कांवड़ यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।

नॉन वेज की दुकानों को सफाई के निर्देश

जयपुर (नॉर्थ) डीसीपी करण शर्मा ने बताया- कांवड़ मार्ग पर आने वाले व्यापारियों, विशेषकर नॉन-वेज कारोबारियों को साफ-सफाई बनाए रखने और अपशिष्ट पदार्थ निर्धारित स्थानों पर डालने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दुकानों के संचालन का समय भी तय किया गया है, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

तेज आवाज वाले डीजे पर सख्ती

करण शर्मा ने बताया- निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। कांवड़ और अन्य वाहनों में अत्यधिक तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के उपयोग पर कार्रवाई की जाएगी।

विवाद होने पर मौके पर ही होगा समाधान

पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों को कांवड़ यात्रा रूट, नेशनल हाईवे (NH-58, NH-73, NH-74 आदि) और संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग और नाकाबंदी के निर्देश दिए। साथ ही डीजे, एलपीजी गैस सिलेंडर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की जांच की जाएगी। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रियों और स्थानीय लोगों या व्यापारियों के बीच कोई विवाद होने पर तुरंत स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाए, ताकि माहौल खराब न हो।

सीएलजी और शांति समिति के साथ बैठक

कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण निकालने के लिए पुलिस ने पहले ही सीएलजी, शांति समिति, व्यापार मंडलों और विभिन्न विभागों के साथ बैठकें की हैं। जयपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई।

सोशल मीडिया पर रहेगी साइबर सेल की नजर

कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और गलत पोस्ट पर जिला पुलिस और थाना स्तर की साइबर सेल लगातार निगरानी रखेगी। यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना पोस्ट करता है तो उसका खंडन किया जाएगा। पोस्ट हटवाई जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की अपील

राजस्थान पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान संयम, अनुशासन और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें। इससे कांवड़ यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सकेगी।

दिल्ली दंगा- पूर्व आप पार्षद ताहिर समेत 5 को उम्रकैद

आईबी अफसर की हत्या के दोषी; कोर्ट बोला- घटना गंभीर, इसने समाज को झकझोर दिया

नई दिल्ली। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर वारदात थी, जिसने समाज को झकझोर दिया। कोर्ट ने 13 जुलाई को ताहिर, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का दोषी ठहराया था। वहीं, 11 आरोपियों में से 6 को बरी कर दिया गया था। लोकल कोर्ट ने कहा -ताहिर हुसैन हथियारों से लैस उस भीड़ का हिस्सा थे, जो हिंदुओं के प्रति नफरत के कारण दंगा, आगजनी और लूटपाट करने के लिए इकट्ठा हुई थी। जिसने बेरहमी से और लगातार हमला करके शर्मा की हत्या कर दी।

पुलिस ने मौत की सजा मांगी थी

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था, आरोपियों ने सारी हदें पार कर दीं। अंकित की मौत होने के बाद भी उन पर हमला जारी रखा गया। यह बेहद क्रूर और सुनियोजित हत्या थी। इसलिए दोषियों को फांसी की सजा दी जाए।

ताहिर के वकील ने कहा- रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं

ताहिर हुसैन के वकील ने दलील दी थी कि हर हत्या के मामले में मौत की सजा नहीं दी जा सकती।

किसी भी दोषी की अलग-अलग भूमिका साफ नहीं बताई गई। इसलिए यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता।

हिंसाग्रस्त इलाके के नाले में मिला था अंकित शर्मा का शव

दिल्ली दंगा 23 फरवरी, 2020 से शुरू हुआ था। 25 फरवरी को आईबी अफसर अंकित शर्मा घर से बाहर निकले थे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आए। परिवार उनकी तलाश कर रहा था, तभी लोगों ने बताया कि उनका शव चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले में देखा गया है। अगले दिन सुबह पुलिस ने नाले से अंकित का शव बरामद किया था। इसके बाद पिता रविंदर कुमार की शिकायत दयालपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। उनका आरोप था कि अंकित की हत्या तत्कालीन आप पार्षद ताहिर हुसैन और उनके साथियों ने की है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ताहिर हुसैन के ऑफिस में इकट्ठा हुए थे और हत्या के बाद अंकित के शव को नाले में फेंक दिया गया।

CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुआ था दंगा

23 फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी और समर्थक आमने-सामने आ गए थे। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव होने लगे थे। 26 फरवरी तक चले दंगों में 53 लोगों की जान गई थी। 250 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। मरने वालों में 38 मुसलमान और 15 हिंदू थे। करीब 800 दुकानें जला दी गई थीं। 500 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया था।

ताहिर ने पैरोल पर जेल से बाहर आकर लड़ा था 2025 का विधानसभा चुनाव

फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी **AIMIM** के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की थी, जबकि ताहिर हुसैन तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें करीब 33 हजार वोट मिले थे। चुनाव प्रचार के लिए ताहिर कस्टडी पैरोल पर बाहर आए थे।

ईरान पर हमले रोकने का बिल एक वोट से गिरा

अब राष्ट्रपति को मिलिट्री एक्शन का अधिकार; ट्रम्प के एक सांसद ने वोटिंग नहीं की

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में एक वोट से गिर गया है। गुरुवार को हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 49 और विरोध में 50 वोट पड़े। ट्रम्प की पार्टी के एक सांसद डेव मैककॉर्मिक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमलों से पहले संसद की मंजूरी लेना जरूरी हो जाता। यानी राष्ट्रपति खुद यह फैसला नहीं ले सकते थे। ईरान जंग को लेकर विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी सैन्य अभियान पर अंतिम फैसला संसद ही ले। ताजा घटनाक्रम के बाद इसे सीनेट में लाने के लिए दोबारा कोशिश करनी होगी। सैन्य कार्रवाई रोकने का विधेयक फिलहाल अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों से जुड़ी कमेटी के पास है।

1. **जंग में पहली बार मिस्र पर हमला:** मिस्र के बंदरगाह पर ड्रोन हमले में दो जहाजों में आग लगी। ईरान को इस हमले का जिम्मेदार माना जा रहा है।

2. **अमेरिका का 10 ईरानी शहरों पर हमला:** अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़े हवाई हमले किए। बंदर अब्बास, किश और क़ेश्म द्वीप में धमाकों की खबर है।

3. **ईरान का जवाबी हमला:** रिवोल्यूशनरी फोर्स ने कहा कि अमेरिकी हमले के बाद उन्होंने कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया।

4. **कुवैत में चीनी कंपनी की बिल्डिंग पर हमला:** ईरानी हमले में उत्तरी कुवैत में एक चीनी कंपनी की इमारत पर हमला हुआ, एक कर्मचारी की मौत।

यूपी में गंगा का पानी हाईवे तक पहुंचा:गुजरात-उत्तराखंड में स्कूल बंद

राजस्थान के बाड़मेर में 40डिग्री तापमान; 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। यूपी में मानसून फिर से कमजोर पड़ गया है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण गंगा, घाघरा-सरयू समेत 10 नदियां उफान पर हैं। वहीं, बिजनौर में गंगा का पानी बहसूमा-ठाकुरद्वारा स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है। गुजरात में आज सभी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं, उत्तराखंड में भी खराब मौसम को देखते हुए बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में भी आज स्कूल बंद हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी बढ़ गई है। जैसलमेर, बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। इसकी वजह पश्चिम की तरफ से आ रही गर्म हवाएं हैं। मध्य प्रदेश में मानसून के 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हैं। इसके चलते अगले 2 दिन प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट है।

संसद में पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे, राहुल ने चंदा दिया

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन; मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस

नई दिल्ली। विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दानपेटी लेकर पहुंचे। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने दानपेटी में चंदा डाला। साथ ही विपक्षी सांसद बैनर लेकर पहुंचे जिसमें 'अमित शाह संसद से गायब क्यों' लिखा हुआ था। इधर, लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे दोबारा शुरू होने पर लोकसभा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026 ध्वनि मत से पास हुआ। लोकसभा और राज्यसभा तीन अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। वहीं, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के संसद में दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। सिंह ने कहा था कि जंतर-मंतर और संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग नहीं हुई थी।

लोकसभा तीन अगस्त तक स्थगित

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026 पारित करने का प्रस्ताव रखा। बिल ध्वनि मत से पास हुआ। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा तीन अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई।

रिजिजू बोले- सदन में बिल पर चर्चा करें, हंगामा नहीं

किरेन रिजिजू ने कहा कि हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा न हो। आप चर्चा में शामिल नहीं होते और बाहर जाकर कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराती। अगला बिल लेकर आएंगे और आप हंगामा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। चर्चा करें, हंगामा ना करें।

लोकसभा में राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा है। अनुराग का आरोप है कि राहुल गांधी ने को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। गंभीर व बेबुनियाद आरोप लगाए। दरअसल, बुधवार को राहुल ने पेपर लीक संशोधन बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल के भाषण के एक हिस्से को स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही से हटा दिया था।

मेरे पिता घर आए तो वर्दी खून से लाल थी:जंतर-मंतर पर घायल पुलिसकर्मियों के परिजन बोले- प्रोटेस्ट में स्टूडेंट नहीं, गुंडे थे

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के परिजन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, 20 तारीख के बाद यही नेरेटिव चलाया जा रहा है कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, लेकिन प्रोटेस्ट का सच कुछ और ही है। हमला पुलिसवालों पर भी हुआ है।

पुलिसवालों के परिजन के 3 आरोप

पहला आरोप

घायल पुलिसवाले की बेटी गुंजन ने कहा- प्रदर्शन में असामाजिक तत्व भी थे मेरे पिता जंतर-मंतर पर बैरिकेड के पास तैनात थे। वे अक्सर कहते थे कि यह अब सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन नहीं रहा, इसमें असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं। 20 जुलाई को रात 10 बजे मेरे पिताजी को उनके साथी घर लेकर आए। उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। हिंसक भीड़ ने उन्हें घसीटा और जंतर-मंतर मंच के पास पीट-पीटकर मारने की कोशिश की थी। वे करीब चार घंटे तक **RML** अस्पताल में बेहोश रहे, फिर भी सोशल मीडिया पर उन्हें ही क्रिमिनल बताया गया।

दूसरा आरोप

घायल **ASI** की पत्नी सीमा बोलीं- शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया 20 जुलाई शाम 7 बजे पति को कॉल किया, तो वो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। भीड़ में मौजूद शरारती तत्वों ने पत्थर और हथियारों से पुलिस जवानों को घायल कर दिया था। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। रात 11 बजे जब पति घर आए, तो उन्होंने बताया कि संसद की सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और पुलिस फोर्स पर हमला किया गया। ड्यूटी के दौरान उन्हें मिला हेलमेट पूरी तरह टूट चुका था।

तीसरा आरोप

मेरे पिता **ASI** हैं। उन्हें बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। मेरे दादाजी भी **BSF** में थे। 1971 की जंग लड़ चुके हैं। जंतर-मंतर प्रदर्शन में पिता फ्रंटलाइन पर तैनात थे। उनके साथी से पता चला कि उनके सिर में गंभीर चोट लगी है। जब उनकी तस्वीर देखी तो सिर मुंडा हुआ था और चार टांके लगे थे। मैं डर गया था। पिता ने बताया कि प्रदर्शन में सिर्फ छात्र नहीं थे, बल्कि हिंसक और उपद्रवी लोग भी शामिल थे।

CJP का आरोप- लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट्स गन चलाई

सीजेपी ने आरोप लगाया था कि 20 जुलाई के संसद चलो मार्च में और उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया। पार्टी ने कई छात्रों के घायल होने का दावा करते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

राहुल ने पैलेट गन चलाने के आरोप लगाए थे

राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि संसद मार्च के दौरान छात्रों के साथ बर्बरता की गई। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई गई, शॉक बैटन का इस्तेमाल हुआ और कील लगी लाठियों से छात्रों को पीटा गया।

सरकार बोली- शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं की

केंद्र सरकार ने कहा था कि पुलिस ने किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी के खिलाफ बल प्रयोग नहीं किया। कार्रवाई केवल उन लोगों के खिलाफ की गई, जिन्होंने बैरिकेड तोड़ने और सुरक्षा घेरा पार करने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने छात्रों पर बर्बरता के आरोपों को गलत बताया और कहा कि प्रदर्शनकारियों पर कोई गोली नहीं चलाई गई।

स्पेन में घुसने पहुंचे 49 हजार प्रवासी, 18 की मौत

मोरक्को से समुद्र में तैरकर आए थे, बॉर्डर पर सेना ने रोका तो भगदड़ मची

सिउटा। स्पेन में जबरन घुसने की कोशिश के दौरान 18 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, घटना तब हुई, जब गुरुवार सुबह 3 हजार प्रवासी एकसाथ स्पेन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर पुलिस की घेराबंदी और सुरक्षा बाड़ के बीच संकरे रास्तों के कारण लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े। भीड़ में दबने, दम घुटने और समुद्र में डूबने के कारण यह हादसा हुआ। इस दौरान स्पेन और मोरक्को के 100 से ज्यादा सैनिक भी घायल हो गए। स्पेनिश सरकार की तरफ से जानकारी मिली है कि मोरक्को की तरफ से करीब 49 हजार लोगों के तैरकर या पैदल चलकर स्पेनिश शहर स्यूटा में प्रवेश कर चुके है।

मोरक्को से एक साथ हजारों प्रवासी स्पेन में क्यों घुसे

अफ्रीकी और एशियाई देशों के प्रवासी बेहतर जीवन की तलाश में यूरोपीय देशों में घुसना चाहते हैं। सिउटा मोरक्को के उत्तरी तट पर स्थित एक स्पेनिश शहर है। यहां घुसने के बाद प्रवासियों को यूरोपीय संघ के क्षेत्र में एंट्री मिल जाती है। स्यूटा भले ही भौगोलिक तौर पर अफ्रीका में है, लेकिन यह स्पेन और यूरोपीय संघ का हिस्सा है। यानी अगर कोई प्रवासी स्यूटा में घुस जाता है, तो वह यूरोप की सीमा तक पहुंच जाता है।

स्वामी एवं प्रकाशक महावीर प्रसाद पारीक एवं मुद्रक ताराचंद कुमावत द्वारा महारानी प्रिन्टर्स, 17 मां वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड़ जयपुर छपवाकर/मुद्रित कर, 220, पारीकों का मोहल्ला, दीनदयाल पारीक, खिंवज नागौर, राजस्थान-341303 नागौर से प्रकाशित, संपादकः महावीर प्रसाद पारीक 9079775151, E-mail legalambit.ho@gmail.com, पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार* (सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा)